विचार-विमर्श के लिए मसौदा

भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास एवं पुनःस्थापन विधेयक, २०११
का मसौदा

ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार
२९ जुलाई, २०११

प्रस्तावना

देशभर में आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विकास करना होगा। विशेष रूप से उत्पादन के आधार पर औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाना है। इसके लिए शहरीकरण अति आवश्यक है। इन सभी प्रक्रियाओं के लिए भूमि एक अनिवार्य जरूरत है। सरकार को विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक कार्यों के लिए भूमि का अर्जन करने की भी जरूरत है।

प्रत्येक मामले में भूमि का अधिग्रहण इस तरह से किया जाए कि इससे भू-स्वामियों के हितों की पूरी तरह सुरक्षा हो और साथ ही उनके भी हित सुरक्षित रहें, जिनकी आजीविका अधिगृहीत की जाने वाली भूमि से जुड़ी हुई है।

हमारे संविधान के तहत भूमि राज्य का विषय है, किंतु भूमि अधिग्रहण एक समवर्ती विषय है। अभी तक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को संचालित करने वाला मूल कानून भूमि अधिग्रहण अधिनियम, १८९४ रहा है। हालांकि इसमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं, फिर भी यह स्पष्ट है कि मूल नियम अब काफी पुराने हो गए हैं।

भारत में भूमि का बाजार अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं है। यहां भूमि को अर्जित करने वाले तथा जिनकी भूमि अर्जित की जा रही है, दोनों के बीच शक्तियों (और सूचना) में विषमता है। इसी वजह से सरकार को पारदर्शी एवं लचीला नियम एवं विनियम बनाने तथा इसका प्रवर्तन सुनिश्चित करने की जरूरत है।

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनःस्थापन (आर एंड आर) को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देखे जाने की जरूरत है। प्रत्येक मामले में, भूमि के अधिग्रहण में पुनर्वास एवं पुनःस्थापन का निश्चित रूप से पालन किया जाना चाहिए। एक ही कानून में - पुनर्वास एवं पुनःस्थापन तथा भूमि अधिग्रहण - को एक साथ नहीं मिलाने पर पुनर्वास एवं पुनःस्थापन की

अनदेखी किए जाने का जोखिम उठाना पड़ सकता है। वास्तव में अब तक का अनुभव ऐसा ही रहा है।

विधेयक के इस मसौदे में आधारभूत सुविधा विकास, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण सहित विभिन्न सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण को आसान बनाने का प्रयास किया गया है, जबकि इसके साथ ही किसानों तथा ऐसे लोगों, जिनकी आजीविका अधिगृहीत की जाने वाली भूमि से जुड़ी है, की चिंताओं का सार्थक रूप से समाधान किया गया है।

भूमि का अधिग्रहण कौन करता है, यह मामला भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, अधिगृहीत भूमि के लिए मुआवजा तथा पुनर्वास एवं पुनःस्थापन प्रक्रिया, पैकेज़ एवं शर्तों से कम महत्वपूर्ण है। विधेयक के इस मसौदे में निजी एवं सरकारी अधिग्रहण के अनुपातों पर बिल्कुल भी ध्यान दिए बगैर इनका उल्लेख किया गया है। इसका उद्देश्य भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी तथा प्रत्येक मामले में दोनों पक्षों के लिए इसे तटस्थ बनाना है। विधेयक के इस मसौदे में अनुपातों पर ध्यान दिए बिना सभी मामलों (०-१००%, ५०-५०%, ७०-३०%, ९०-१०%, १००-०% और इनके बीच के सभी संभावित संयोजन) को शामिल किया गया है तथा इससे पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में समानता सुनिश्चित होती है और इसके साथ ही इसमें इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है कि उनकी जमीन कौन अर्जित कर रहा है - सरकार या निजी पार्टी।

पुनर्वास एवं पुनःस्थापन प्रावधान को भूमि अधिग्रहण के अनिवार्य हिस्से के रूप में कारगर ढंग से कार्यान्वित किया जाता है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक के मसौदे में एक नई संस्थागत व्यवस्था बनाई गई है।

भूमि अधिग्रहण के लिए केन्द्र सरकार के १८ अन्य कानून हैं (अर्थात् राजमार्ग, सेज, डिफेंस, रेलवे आदि के लिए)। देश में प्रचलित ऐसे अन्य विशिष्ट कानूनों पर बिल के मसौदे को तरजीह दी जाएगी। मसौदा बिल के प्रावधान इन कानूनों में उपलब्ध कराए गए मौजूदा सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त होंगे और

इनसे इन सुरक्षा उपायों में कोई कमी नहीं आएगी। मसौदा बिल में (i) पेसा, 1996 (ii) वन अधिकार अधिनियम, 2006, और (iii) अनुसूची V (अर्थात् जनजातीय) के क्षेत्रों में भूमि अंतरण विनियमन के प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन किया गया है।

अंत में, यह स्पष्ट किया जाता है कि विधेयक का मसौदा निजी कम्पनियों पर सीधे किसानों और अन्य लोगों से जमीन खरीदने पर रोक नहीं लगाता है। इसके दायरे से बाहर के सभी मामलों में विधेयक के मसौदे में यह प्रस्ताव किया गया है कि एक स्पष्ट पुनर्वास एवं पुनःस्थापन पैकेज़ दिया जाएगा। विधेयक के मसौदे में यह भी कहा गया है कि किसी भी हालत में विविध फसलों वाली सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा।

संसद में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व विधेयक के इस मसौदे को परामर्शी प्रक्रिया के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। 31 अगस्त, 2011 तक इस पर टिप्पणी मांगी गई है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भू-अभिलेखों को अद्यतन एवं डिजिटल बनाने और भू-अभिलेखों की पूर्वानुमानित व्यवस्था से निर्णायक व्यवस्था की ओर अग्रसर होने की पहल की है।

जयराम रमेश
ग्रामीण विकास मंत्री,
29 जुलाई, 2011

II.

भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक (एलएआरआर), 2011 का मसौदा - सारांश

ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार
29 जुलाई, 2011

कार्यसूची

- **नया कानून क्यों ?**
- **संयुक्त कानून क्यों ?**
- **मसौदा विधेयक का क्षेत्र**
- **मसौदा विधेयक की मुख्य विशेषताएं**
  - ‘सार्वजनिक प्रयोजन’ की परिभाषा
  - तात्कालिकता
  - ‘प्रभावित परिवार’ की परिभाषा
  - भूमि के लिए न्यूनतम मुआवजा
  - न्यूनतम आर. एण्ड आर. हकदारी
  - अवसंरचनात्मक सुख- सुविधाएं
  - अन्य कानूनों के साथ समनुरूपता
  - प्रक्रिया गति
  - संस्थागत संरचना
  - सुरक्षोपाय
  - पारदर्शिता
  - शास्तियां
  - अधिनिर्णय

केवल विचार –विमर्श के प्रयोजन के लिए मसौदा

नया कानून क्यों

लोगों की चिन्ता

- भूमि अधिग्रहण संबंधी मामलों पर लोगों की अत्यधिक चिन्ता
- जीविका की क्षति के लिए पुनर्स्थापन, पुनर्वास और मुआवजा उपलब्ध कराने हेतु एक राष्ट्रीय कानून का अभाव

पुराना कानून

- जबकि मूल अधिनियम में कई संशोधन किए गए हैं, तथापि, मूल कानून वही अर्थात् भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 ही है।

सामंजस्य की आवश्यकता

- किसानों तथा उन लोगों की चिंताओं का समाधान करना जिनकी जीविका अधिगृहीत की जा रही भूमि पर निर्भर है।
- जबकि औद्योगिकीकरण, अवसंरचना तथा शहरीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की सुविधा उपलब्ध कराना

संयुक्त कानून क्यों ?

1. भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्स्थापन और पुनर्वास की आवश्यकता को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देखा जाना आवश्यक है।

2. भूमि के अधिग्रहण के पश्चात्, प्रत्येक मामले में, अनिवार्य रूप से पुनर्स्थापन और पुनर्वास किया जाना आवश्यक है।

3. पुनर्वास और पुनर्स्थापन तथा भूमि अधिग्रहण- दोनों को एक ही कानून के अन्तर्गत शामिल नहीं करने से, पुनर्वास और पुनर्स्थापन की उपेक्षा का खतरा। वास्तव में, अभी तक का अनुभव यही रहा है।

4. भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप प्रभावित और विस्थापित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के विषय पर यह पहला राष्ट्रीय/केन्द्रीय कानून है।

एल.ए.आर.आर., 2011 का क्षेत्र

भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापन दोनों के उपबंध लागू होंगे जब:

1. सरकार अपने उपयोग के लिए भूमि अधिगृहीत करती है, इस पर कब्जा तथा नियंत्रण रखती है ;
2. सरकार (राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग परियोजनाओं को छोड़कर पी.पी.पी. परियोजनाओं सहित) नियत सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निजी कम्पनियों के उपयोग के लिए उन्हें भूमि अंतरित करने के मूल प्रयोजन से भूमि अधिगृहीत करती है। ;
3. सरकार सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निजी कम्पनियों के प्रत्यक्ष और घोषित उपयोग के लिए भूमि अधिगृहीत करती है ।

टिप्पणी : I **उपर्युक्त 2 और 3 के लिए सार्वजनिक प्रयोजन, एक बार निर्धारित किए जाने के पश्चात्, परिवर्तित नहीं हो सकते।**

टिप्पणी : II **उपर्युक्त 2 और 3 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण तभी हो सकता है बशर्ते कि परियोजना से प्रभावित होने वाले 80% परिवार प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए अपनी सहमति देते हों।**

केवल पुनर्वास और पुनर्स्थापन के उपबंध लागू होंगे जब:

1. निजी कम्पनियां, 100 एकड़ या इससे अधिक भूमि स्वयं खरीदती हैं ;
2. निजी कम्पनी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आंशिक अधिग्रहण हेतु सरकार से सम्पर्क करती है।

टिप्पणी : सरकार अधिग्रहण पर विचार नहीं करती है :

1. निजी प्रयोजनों हेतु निजी कम्पनियों के लिए भूमि

या

2. सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए बहु-फसली सिंचित भूमि

मसौदा विधेयक की मुख्य विशेषताएं

सार्वजनिक प्रयोजन की परिभाषा

निम्नलिखित श्रेणियों को सार्वजनिक प्रयोजन के रूप में माना जाता है : -

1. **रणनीतिक प्रयोजन :** उदाहरणार्थ सशस्त्र सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा;
2. **अवसंरचना तथा उद्योग :** जहां लाभ मुख्य रूप से आम लोगों को हो ;
3. **पुनर्वास और पुनस्थार्पन प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत भूमि ;**
4. **गांव या शहरी स्थल** : नियोजित विकास - गरीबों के आवास के प्रयोजन तथा शैक्षिक एवं स्वास्थ्य योजनाओं के लिए ;
5. **सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निजी कम्पनियों के लिए भूमि;**
6. **प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न आवश्यकताएं ।**

मसौदा विधेयक की मुख्य विशेषताएं

तात्कालिकता खंड

तात्कालिकता खंड केवल निम्नलिखित मामलों में लगाया जा सकता है :

1. राष्ट्रीय रक्षा तथा सुरक्षा प्रयोजन
2. आपात परिस्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में पुनर्वास और पुनर्स्थापन आवश्यकताएं
3. **'दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों'** में प्रयोग किया जाए।

मसौदा विधेयक की मुख्य विशेषताएं

प्रभावित परिवार

- **भू-स्वामी :**
  1. वे परिवार जिनकी भूमि /अन्य अचल सम्पत्ति अधिगृहीत हो गई है।
  2. वे जिन्हें भूमि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भूमि दी जाती है।
  3. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अधिकार रखने वाले

- **जीविका खोने वाले :**
  1. वे परिवार जो मुख्यत: अधिगृहीत की जा रही भूमि पर निर्भर हों।
  2. जिनकी कोई सम्पत्ति हो या नहीं हो ।

मसौदा विधेयक की मुख्य विशेषताएं
भूमि के लिए न्यूनतम मुआवजा

विस्तृत मुआवजा पैकेज **(अनुसूची – I)**

1. **भूमि का बाजार मूल्य :** क्षेत्र, जहां भूमि स्थित है, में विक्रय विलेखों के पंजीकरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में विनिर्दिष्ट भूमि का न्यूनतम मूल्य, यदि कोई हो;

   (ख) गांव या इसके आस – पास स्थित समान प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय मूल्य, विगत तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत पचास प्रतिशत विक्रय विलेखों से सुनिश्चित किया जाए, जहां अधिक मूल्य दिया गया है ; या

   जो भी अधिक हो :

   बशर्ते कि यह इस प्रकार परिकलित बाजार मूल्य को ग्रामीण क्षेत्रों में तीन से गुणा किया जाएगा

2. **भूमि से सम्बद्ध परिसम्पत्तियों का मूल्य :** संबंधित सरकारी प्राधिकरण द्वारा आंके गए मूल्य के अनुसार भवन/ पेड़/ कुंए/फसल आदि;

कुल मुआवजा = 1+2

3. **तोषण :** मुआवजे का 100% .

इसका अर्थ यह है कि अधिनिर्णय राशि शहरी क्षेत्रों के मामले में निर्धारित बाजार मूल्य के दुगुने से कम नहीं होनी चाहिए जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह राशि मूल बाजार मूल्य के छ: गुणे से कम नहीं होनी चाहिए।

मसौदा विधेयक की मुख्य विशेषताएं

न्यूनतम आर. एण्ड आर. हकदारी

विस्तृत पुनर्वास और पुनर्स्थापन पैकेज **(अनुसूची–II तथा मसौदा विधेयक)**

भू-स्वामियों के लिए

1. 12 महीने के लिए प्रति परिवार 3000 रूपये प्रति माह जीवन निर्वाह भत्ता
2. उपयुक्त मुद्रास्फीति सूचकांक सहित 20 वर्षों के लिए प्रति परिवार को वार्षिक भृत्ति के रूप में प्रति माह 2000 रूपये
3. यदि मकान की क्षति होती है तो, ग्रामीण क्षेत्रों में 150 वर्गमीटर प्लिन्थ क्षेत्रफल का तथा शहरी क्षेत्रों में 50 वर्गमीटर प्लिन्थ क्षेत्रफल का निर्मित मकान
4. यदि भूमि सिंचाई परियोजना के लिए अधिगृहीत की जाती है तो प्रत्येक परिवार को कमान क्षेत्र में एक एकड़ भूमि
5. परिवहन के लिए 50,000/- रूपये
6. जहां भूमि का अधिग्रहण शहरीकरण के लिए किया जाता है, वहां 20% विकसित भूमि आरक्षित रखी जाएगी और इसे भू-स्वामियों को उनकी अधिगृहीत भूमि के अनुपात में प्रदान किया जाएगा।
7. अधिग्रहण की तारीख के 10 वर्षों के भीतर भूमि के प्रत्येक अंतरण पर मूल स्वामी, जिनकी भूमि अधिगृहीत की गई है, के साथ बढ़े हुए मूल्य का 20% बांटा जाएगा।
8. प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक सदस्य को अनिवार्य रूप से रोजगार या यदि रोजगार नहीं दिया जाता है तो 2 लाख रूपये ।
9. मुआवजे की 25% तक की राशि के शेयरों का प्रस्ताव

मसौदा विधेयक की मुख्य विशेषताएं
न्यूनतम पुनर्वास और पुनर्स्थापन हकदारी

विस्तृत पुनर्वास और पुनर्स्थापन पैकेज **(अनुसूची – II)**

<u>जीविका खोने वालों के लिए (भूमिहीनों सहित) :</u>

1. 12 महीने के लिए प्रति परिवार 3000 रूपये प्रति माह जीवन निर्वाह भत्ता
2. उपयुक्त मुद्रा-स्फीति सूचकांक सहित 20 वर्षों के लिए प्रति परिवार को वार्षिक भृत्ति के रूप में प्रति माह 2000 रूपये
3. यदि आवासहीन हो तो ग्रामीण क्षेत्रों में 150 वर्गमीटर (प्लिन्थ क्षेत्रफल) का तथा शहरी क्षेत्रों में 50 वर्गमीटर का निर्मित मकान नि: शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा
4. 50, 000/- रूपये का एक बारगी 'पुनर्स्थापन भत्ता'
5. परिवहन के लिए 50,000 रूपये
6. प्रति प्रभावित परिवार एक सदस्य को अनिवार्य रूप से रोजगार या 2 लाख रूपये ।

मसौदा विधेयक की मुख्य विशेषताएं

न्यूनतम आर. एंड आर. हकदारी

विस्तृत आर. एंड आर. पैकेज (अनुसूची II)

<u>अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के लिए विशेष उपबंध</u>

1. प्रत्येक परियोजना में अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक परिवार को एक एकड़ भूमि
2. अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए 50,000 रुपये की एक बारगी वित्तीय सहायता
3. जिले से बाहर पुनर्स्थापित अनुसूचित जनजाति के परिवार, मौद्रिक लाभ के अलावा 25% अतिरिक्त पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ (और एक बारगी 50,000 रूपये का भुगतान) प्राप्त करने के हकदार होंगे।
4. अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आरंभ में ही मुआवजे की एक तिहाई राशि का भुगतान
5. क्षेत्र में उसी कॉम्पैक्ट ब्लॉक में पुन: स्थानन तथा पुनर्स्थापन को प्राथमिकता
6. सामुदायिक तथा सामाजिक सभाओं के लिए नि:शुल्क भूमि ;
7. 100 या इससे अधिक अनुसूचित जनजाति के परिवारों के विस्थापन के मामले में एक *जनजातीय विस्थापन योजना* तैयार की जाए:
   - भूमि अधिकारों के निपटारे तथा अंतरित भूमि के संबंध में स्वामित्वाधिकार को पुन: कायम करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए ।
   - ईंधन, चारा तथा गैर- इमारती वन उत्पाद के विकल्प के विकास के लिए कार्यक्रम का ब्यौरा

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दोनों को विस्थापित क्षेत्र में प्राप्त आरक्षण तथा अन्य लाभ पुनर्स्थापन क्षेत्र में भी जारी रहेंगे ।

मसौदा विधेयक की मुख्य विशेषताएं

उपलब्ध करायी जाने वाली अवसंरचनात्मक सुख-सुविधाएं

(अनुसूची III)

पुनर्स्थापन क्षेत्र में 25 अवसंरचनात्मक सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना, जिनमें निम्नलिखित शामिल है :

- स्कूल और खेल के मैदान ;
- स्वास्थ्य केन्द्र ;
- सड़कें और विद्युत कनेक्शन ;
- प्रत्येक परिवार के लिए सुरक्षित पेय जल के सुनिश्चित स्रोत;
- पंचायत घर;
- आंगनवाड़ी, जो बच्चे और माता को सम्पूरक पोषक सेवाएं उपलब्ध कराती हो
- पूजा स्थल और कब्रिस्तान और /अथवा श्मशान ;
- बचत खाता खोलने की सुविधाओं के साथ गांव स्तर पर डाक घर, जैसाकि उपयुक्त हो ;
- उचित मूल्य की दुकान तथा बीज-सह-उर्वरक भंडारण सुविधाएं

मसौदा विधेयक की मुख्य विशेषताएं

अन्य कानूनों के साथ समनुरूपता

नए कानून के उपबंध पूर्णतया अन्य कानूनों के अनुरूप होंगे जैसे-

- पंचायत(अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996;
- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006;
- अनुसूची V में वर्णित क्षेत्रों में भूमि अंतरण विनियम।

मसौदा विधेयक की मुख्य विशेषताएं
प्रक्रिया गति

समुचित सरकार द्वारा प्रस्ताव प्राप्त किया जाता है

अधिसूचना से पूर्व

समुचित सरकार द्वारा सामाजिक प्रभाव आकलन (एस.आई.ए.) किया जाता है

- एस.आई.ए. की जांच स्वतंत्र विशेषज्ञ दल द्वारा की जाती है

मुख्य सचिव (सी.एस.) समिति द्वारा ‘सार्वजनिक प्रयोजन’ और सामाजिक प्रभाव आकलन (एस.आई.ए.) की वैधता की समीक्षा की जाती है

- कलक्टर वैकल्पिक स्थलों की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है
- परियोजना प्रभावित परिवारों के 80% की सहमति प्राप्त की जाती है ।

अधिसूचना

अधिग्रहण हेतु प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन

जन सुनवाई

आर. एंड आर. योजना को अंतिम रूप देना (प्रारंभिक अधिसूचना (पी.एन.) के 6 माह के भीतर)

मसौदे की घोषणा और आर. एंड आर. योजना को प्रकाशित करना

अधिनिर्णय

मसौदा विधेयक की मुख्य विशेषताएं
संस्थागत संरचना

केंद्र

संस्था	भूमिका
राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास पुनर्स्थापन विवाद निपटान प्राधिकरण	केंद्रीय परियोजनाओं के लिए विवाद समाधान
राष्ट्रीय निगरानी समिति	केंद्रीय परियोजनाओं के लिए पर्यावलोकन

राज्य

संस्था	भूमिका
भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास पुनर्स्थापन विवाद निपटान प्राधिकरण	राज्य परियोजनाओं के लिए विवाद समाधान
मुख्य सचिव समिति	यह तय करना कि क्या परियोजनाएं सार्वजनिक प्रयोजन के लिए हैं
राज्य आयुक्त, आर.आर.	एल.ए. एंड आर.आर. के लिए राज्य में समग्र प्रशासन

परियोजना स्तर

संस्था	भूमिका
जिला क्लक्टर	समग्र समन्वय और कार्यान्वयन
प्रशासक, आर.आर.	परियोजना स्तरीय आर.आर. का प्रशासन
आर.आर. समिति	पर्यावलोकन(चयनित प्रतिनिधि, सिविल सोसाइटी, समनुरूप एजेंसियाँ)

मसौदा विधेयक की मुख्य विशेषताएं
अविवेकपूर्ण अधिग्रहण के विरुद्ध रक्षोपाय

- जहां अधिगृहीत किया जाने वाला क्षेत्र 100 एकड़ से अधिक हो, वहां **सामाजिक प्रभाव आकलन** को अनिवार्य बनाया गया;
- 'सार्वजनिक प्रयोजन' तथा एस.आई.ए.रिपोर्ट को अनुमोदित करने के लिए **मुख्य सचिव समिति**

- **प्रारूप अधिसूचना** में निम्नलिखित शामिल है:
  -- एस.आई.ए. का सार
  -- आर. एंड आर. प्रशासक, जो आर. एंड आर. योजना को तैयार करता है, का ब्यौरा
- **प्रारूप घोषणा** में निम्नलिखित शामिल है:
  -- आर. एंड आर. पैकेज का सार

- **भूमि की वापसी:** जिस प्रयोजन के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है यदि उस प्रयोजन हेतु इसका उपयोग 5 वर्षों में नहीं किया जाता है तो भुगतान की गई अधिनिर्णय राशि के एक चौथाई पर भूमि मूल स्वामी को वापस कर दी जाती है।

  -- बशर्ते कि सरकार किसी एक विभाग के लिए अर्जित की गई भूमि को किसी अन्य विभाग के लिए उपयोग में ला सके।

मसौदा विधेयक की मुख्य विशेषताएं
पारदर्शी उपबंध

- **सामाजिक प्रभाव आकलन**
  -- ग्राम सभा से परामर्श करना
  -- प्रारूप अधिसूचना के साथ अधिसूचित सामाजिक प्रभाव आकलन(एस.आई.ए.) का सार
  -- जन संवीक्षा के लिए एस.आई.ए. दस्तावेज उपलब्ध कराना

- **आर. एंड आर. योजना**
  -- प्रारूप घोषणा के साथ अधिसूचित सार
  -- जन संवीक्षा के लिए उपलब्ध कराया गया

- **अलग-अलग पारित अधिनिर्णय**

- **जन प्रकटीकरण**
  -- सभी दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से पब्लिक डोमेन और वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना

मसौदा विधेयक की मुख्य विशेषताएं
शास्तियाँ

गलत सूचना, कपटपूर्ण कार्रवाई, आदि के लिए दंड

- **यदि गलत अथवा भ्रामक दस्तावेज हों:** इसके परिणामस्वरूप एक लाख रूपये तक का जुर्माना और/ अथवा एक माह का कारावास होगा।

- **यदि आर. एंड आर. लाभ गलत सूचना पर प्राप्त किए जाते हैं:** समुचित प्राधिकारी द्वारा उनकी वसूली की जाएगी।

- **सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही:** कोई सरकारी सेवक, जो इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के संबंध में कपटपूर्ण कार्रवाई का दोषी है तो वह ऐसे दंड (और जुर्माने) का भागी होगा, जैसा कि अनुशासनिक प्राधिकारी निर्धारित करे ।

मसौदा विधेयक की मुख्य विशेषताएं
अधिनिर्णय

कलक्टर दो प्रकार का अधिनिर्णय पारित करता है:

1. **भूमि अर्जन के लिए अधिनिर्णय**
   -- अनुसूची I में सूचीबद्ध किए गए अनुसार एल.ए. मुआवजे के ब्यौरे सहित प्रत्येक प्रभावित परिवार, जिसकी भूमि अधिगृहित की जा रही है, के संबंध में अधिनिर्णय दिया जाता है;

2. **आर. एंड आर. के लिए अधिनिर्णय**
   -- अनुसूची II में सूचीबद्ध किए गए अनुसार आर.एंड आर. हकदारी के ब्यौरे सहित प्रत्येक प्रभावित परिवार, के संबंध में अधिनिर्णय दिया जाता है, चाहे वे भूमि खो रहे हों या नहीं।

बशर्ते कि जब तक आर. एंड आर. पूरा नहीं हो जाता भूमि का अंतरण नहीं किया जाएगा

III.

भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक, 2011 का मसौदा

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक 2011

प्रस्ता वना

मसौदा विधेयक औद्योगीकरण, अनिवार्य अवसंरचनात्मेक सुविधाओं तथा शहरीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की सुविधा उपलब्धु कराने की आवश्यसकता, इसके साथ-साथ किसानों तथा उन लोगों जिनकी जीविका अधिगृहीत की जा रही भूमि पर निर्भर है, की चिंताओं के सार्थक समाधान के बीच सामंजस्यि स्थापित करने;

और अनैच्छिक विस्थाथपन के द्वारा होने वाली मानवीय तथा सामाजिक पीड़ा के प्रभावित व्यअक्तियों के विस्था पन को कम करके तथा लोगों और उनके आवासों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को अत्यंत कम करने;

अपेक्षाओं, संस्कृतति, समुदाय प्राकृतिक संसाधन आधार तथा क्षमता एवंम प्रभावित व्यिक्तलयों के कौशल आधार के प्रति संवेदनशील होते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना प्रभावित परिवारों को न्यानयोचित्त मुआवजा तथा पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन पैकेज उपलब्ध कराया जाता है परियोजना प्रभावित व्याक्तितयों/परिवारों को व्यालपक रूप से परिभाषित करने तथा उनकी पहचान करने;

और मानवीय, सहभागी, ज्ञात, परामर्शी तथा पारदर्शी प्रक्रिया; और सबसे बढ़कर यह सुनिश्चियत करना कि अनिवार्य अधिग्रहण के समग्र परिणाम यह हो कि प्रभावित व्यिक्ति विकास में भागीदार हो, के लिए है।

इसे निम्नानुसार अधिनियमित किया जाता है :

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार तथा लागू होना :

(1) इस विधेयक को भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास और पुनर्स्था पन विधेयक, 2011 कहा जा सकता है।

(2) यह जम्मू और कश्मीर राज्यध को छोड़कर समस्तस भारत में लागू होता है।

(3) यह सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित की गई तारीख, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने की तारीख से तीन महीन से अधिक नहीं होगी, को लागू होगी।

1क. कानून का लागू होना:

(1) इस अधिनियम के उपबंध उनकी समग्रता में लागू होंगे जब :-

(क) जब समुचित सरकार अपने उपयोग, इस पर कब्जा् तथा नियंत्रण रखने के लिए भूमि अधिगृहीत करती है,;

(ख) सरकार (सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं को शामिल करते हुए परंतु इसमें राष्ट्री□य और राज्य राजमार्ग परियोजनाएं शामिल नहीं हैं) नियत सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निजी कंपनियों के उपयोग के लिए भूमि अंतरित करने के मूल प्रयोजन से भूमि अधिगृहीत करती है;

(ग) सरकार सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निजी कंपनियों के प्रत्य क्ष और घोषित उपयोग के लिए भूमि अधिगृहीत करती है,

बशर्ते किउपर्युक्ति धारा (ख)और (ग) के लिए सार्वजनिक प्रयोजन एक बार निर्धारित किए जाने के पश्चा त् परिवर्तित नहीं हो सकते ।

बशर्ते यह भी किकी उपर्युक्त धारा (ख) और (ग) के अन्तिर्गत भूमि अधिग्रहण वहीं हो सकता है जहां पर परियोजना से प्रभावित होने वाले कम से कम 80 प्रतिशत परिवार प्रस्तारवित अधिग्रहण के लिए अपनी सहमति देते हैं।

(2) पुनर्वास और पुनर्स्था्पन से संबंधित उपबंध केवल तभी लागू होंगे जब

(क) निजी कंपनियां सौ एकड़ या इससे अधिक भूमि स्वायं खरीदती है;

(ख) निजी कंपनी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए इस सीमा तक चिन्हिवत क्षेत्र के आंशिक अधिग्रहण हेतु समुचित सरकार से सम्पलर्क करती है ।

बशर्ते कि जहां निजी कंपनी आंशिक अधिग्रहण के लिए सरकार से हस्तकक्षेप की मांग करती है तब पुनर्वास और पुनर्स्थाुपन हकदारी निजी कंपनियों द्वारा अधिग्रहण के लिए चिन्हिपत पूरे क्षेत्र के लिए लागू होगी और न की केवल उस क्षेत्र के लिए जिसके लिए निजी कंपनी हस्तकक्षेप की मांग करती है ।

(3) इस अधिनियम में निर्धारित संपूर्ण हकदारी बिल्कुतल न्यूएनतम होगी जिसकी गारंटी पात्र व्यलक्तिसयों को दी जायेगी और कोई राज्य इस प्रकार उल्लिेखित हकदारी को किसी रूप में न तो सीमित कर सकती है और न ही रोक लगा सकती है ।

बशर्ते किइस धारा में उल्लिोखित कोई तथ्यस राज्योंल को इस अधिनियम में उल्लिखित हकदारी को बढ़ाने या इसमें अन्यध लाभ शामिल करने के लिए विधान या दस्तावेज अधिनियमित करने से प्रतिबंधित नहीं करेगा ।

2. परिभाषाएं

इस अधिनियम में जब तक कि इस विषय या संदर्भ में कुछ असंगत न हो:-

(क) **'प्रशासक'** शब्द का अर्थ है कोई अधिकारी जिसकी नियुक्तिà धारा 8 के अन्तनर्गत प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थाrपन के प्रयोजन के लिए की जाती है

(ख) **'प्रभावित क्षेत्र'** शब्द् का अर्थ है भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किसी गांव या मुहल्लेर का क्षेत्र;

(ग) **'प्रभावित परिवार'** शब्दर का अर्थ है:-

(i) वे परिवार जिनकी भूमि या अन्यै अचल सम्पित्ति अधिगृहीत की गई है या जिन्हें् अपनी भूमि या अचल सम्परत्ति से अनैच्छिीक और स्थाभयी रूप से विस्थाअपित किया गया है;

(ii) भूमिहीन परिवार जिसमें कृषि श्रमिक या शिल्पेकार शामिल हैं, जो प्रभावित क्षेत्र में कार्य करते रहे हैं या जिनकी आरंभिक जीविका ऐसे क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के द्वारा प्रभावित हुई है ।

(iii) जनजातीय तथा अन्यक परंपरागत वनवासी जो अनुसूचित जनजाति तथा अन्या परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यअता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत किसी मान्य(परंपरागत अधिकारों से वंचित होते हैं;

(iv) वे व्याक्तिप जिन्हें केन्द्रा या राज्य सरकार द्वारा विभिन्ने योजनाओं के अन्त र्गत भूमि दी जाती है ।

बशर्ते किजहां अधिग्रहण के परिणामस्वअरूप वनवासियों, शिकारियों, मछुआरों, नाविको सहित वन या जल निकाय पर अपनी आजीविका के लिए र्निभर परिवार अपनी जीविका के आरम्भिजक स्त्रोरत से वंचित होते हैं ।

(घ) **'कृषि भूमि'** शब्दं का अर्थ है भूमि जिसका प्रयोग

(i) कृषि या बागवानी:

(ii) डेयरी, कृषि मुर्गीपालन, मत्य्िनी पालन, रेशम कीटपालन, पशु जनन या औषधीय जड़ी बूटियां उगाने के लिए नर्सरी,

(iii)फसल, घास उगाना या बाग उत्पा द; और

(iv) भूमि जिसका उपयोग पशुओं को चराने के लिए किया जाता है,

(ङ) '**समुचित सरकार'** का अर्थ है –

(i) संघ के प्रयोजन के लिए भूमि के अधिग्रहण के संबंध मे केन्द्रि सरकार;
(ii) एक से अधिक राज्योंा में किसी अवसंरचनात्मरक परियोजना के परियोजन के लिए भूमि के अधिग्रहण के संबंध में केन्द्र सरकार;
(iii) किसी अन्यम प्रयोजन के लिए भूमि के अधिग्रहण के संबंध में राज्य सरकार;
(iv) पुनर्वास और पुनर्स्थांपन के संबंध में राज्या सरकार;

(च) '**प्राधिकरण'** शब्द का अर्थ है राज्यं के संबंध में राज्य भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थाा पन विवाद निपटान प्राधिकरण तथा केन्द्रज के संबंध में केन्द्री□य भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन विवाद निपटान प्राधिकरण;

(छ) '**कलक्टवर'**शब्दप का अर्थ है किसी जिले का कलक्टनर और इसमें उपायुक्त तथा कोई अन्यप अधिकारी जिसे इस अधिनियम के अन्तरर्गत कलक्टजर का कार्य करने के लिए समुचित सरकार द्वारा विशेष रूप से नामित किया जाता है ;

(ज) **'अधिग्रहण की लागत '** शब्दत में शामिल है -

(i) अधिनिर्णय की गई मुआवजा राशि जिसमें तोषण, भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास और पुनर्स्थाा पन विवाद निपटान प्राधिकरण या संगत उच्च्‍ न्याकयालय के आदेश से प्राप्तच कोई बढ़ा हुआ मुआवजा तथा उस पर देय ब्यादज;

(ii) अधिग्रहण की प्रक्रिया में भूमि तथा खड़ी फसलों के नुकसान के लिए अदा किया जाने वाला डेमरेज;

(iii) विस्थाणपित या प्रतिकूलत: प्रभावित परिवारों के आवास के लिए भूमि, जो परियोजना क्षेत्र से बाहर हो, के अधिग्रहण की लागत;

(iv) पुनर्स्थाेपन क्षेत्रों में अवसंरचना तथा सुख सुविधाओं के विकास की लागत;

(v) अधिनियम के अनुसार पुनर्वास और पुनर्स्थाा पन की लागत;

(vi) भूमि, जिसमें परियोजना क्षेत्र और परियोजना क्षेत्र से बाहर की भूमि, दोनों शामिल हैं, के अधिग्रहण की प्रशासनिक लागत;

(vii) हकदार तथा हितबद्ध परिवारों, परियोजना के अन्तपर्गत भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थाहपित या प्रतिकूलत: प्रभावित परिवारों को वास्ततविक पुनर्वास और पुनर्स्थाापन उपलब्धथ कराने के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थाभपन पैकेजों की आयोजना तथा कार्यान्वायन में शामिल प्रशासिनक लागत;

(viii) 'सामाजिक प्रभाव आकलन' करने की लागत;

(झ) '**न्याजयालय**' शब्द का अर्थ है मूल क्षेत्राधिकार के प्रधान सिविल न्या्यालय;

( ) 'कंपनी' शब्दर का अर्थ है-

(i) सरकारी कंपनी के अलावा कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में परिभाषित किए गए अनुसार कोई अन्य कंपनी;

(ii) खण्डं में उल्लि खित किसी सोसायटी के अलावा सोसायटी रजिस्ट्री करण अधिनियम, 1860(1860 का 21), या समय समय पर लागू किसी अन्य संगत कानून के अन्तिर्गत पंजीकृत कोई सोसायटी;

(ट) **'विस्था पित परिवार'** शब्दि का अर्थ है कोई परिवार जिसे भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित क्षेत्र से पुनर्स्थापपित क्षेत्र में पुन:स्थानित या पुनर्स्थाापित किया जाना हो;

(ठ) **'परिवार'** शब्दथ में शामिल हैं कोई व्यीक्ति जिसका पति या पत्नीो, अवयस्क□ बच्चेग, अवयस्क भाई, अवयस्कि बहन जो उन पर निर्भर हों;

*स्प ष्टीवकरण*कोई भी व्योस्कम, जिसका पति/जिसकी पत्नीक या बच्चेा या आश्रित न हो, चाहे वह महिला हो या पुरूष, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु अलग परिवार के रूप में माना जा सकता है।

(ड) **'भूमि जोत'** शब्द का अर्थ है कुल भूमि जो किसी व्य क्ति के अधीन स्वा्मित्वा,धिकारी, कब्जा दार या काश्तककार या दोनों रूपों में हों।

(ढ) '**अवसंरचनात्म क परियोजना**' शब्दक में निम्नवलिखित शामिल होंगे:-

(i) कोई परियोजना जो बिजली के उत्पा'दन, प्रेषण या आपूति से संबंधित हों;

(ii) सड़क, राजमार्ग, रक्षा, पुल, हवाई अड्डा, बंदरगाह, रेल प्रणालियां या खनन कार्यकलाप, शैक्षिक, खेल, स्वापस्य्हे□ देखभाल, पर्यटन, परिवहन, अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा ऐसे आय वर्ग जैसाकि समुचित सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्टत किया जाए के लिए आवास का निमाण;

(iii) जल आपूति योजना, सिंचाई परियोजना, स्वईच्छता तथा सफाई प्रणाली;
(iv) केन्द्रि सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचित किए गए अनुसार कोई अन्य सार्वजनिक सुविधा;

(ण) **'भूमि'** शब्दन में भूमि से प्राप्त होने वाले लाभ, तथा जमीन से संबद्ध वस्तु एं या जमीन से संबद्ध किसी वस्तुअ से अस्थादयी रूप से जुड़ी कोई वस्तुस शामिल है;

(त) **'भूमिहीन'** शब्द का अर्थ वही होगा जैसाकि संगत राज्य कानूनों में निर्दिष्ट किया जाये;

(थ) '**भू-स्वा्मी**शब्द में कोई व्यि‍क्तिं, जिसे भूमि अभिलेख में भूमि के स्वा्मी के रूप में दर्शाया जाता हो या जो व्यजक्तिा राज्य के कानून के अन्तगर्गत उल्लिि‍खित भूमि सहित भूमि के संबंध में पट्टा अधिकार प्रदान किए जाने का पात्र हो, शामिल हैं ;

(द) '**स्थाानीय प्राधिकरण**शब्दय में समय-समय पर लागू किसी कानून के अन्तूर्गत स्थाि‍पित नगर आयोजन प्राधिकरण(जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) शामिल हैं;

(ध) '**सीमान्तक किसान**शब्दम का अर्थ है कोई कृषक जिसके कब्जेि में एक हैक्टेयर तक असिंचित भूमि या आधे हैक्टे यर तक सिंचित भूमि हो;

(न) '**अधिसूचना'** शब्दस का अर्थ है भारत के राजपत्र या राज्यो के राजपत्र जैसा भी मामला हो, में प्रकाशित अधिसूचना;

(प) '**पट्टा'** शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि संगत राज्यष कानूनों में उल्लेीख किया जाता है;

(फ) '**हितबद्ध व्यबक्ति**' शब्द का अर्थ है–

(i) इस अधिनियम के अन्तहर्गत भूमि के अधिग्रहण के कारण दिए जाने वाले मुआवजे में अधिकार का दावा करने वाले सभी व्यतक्तित;
(ii) जनजातीय तथा अन्यक परम्प रागत बनवासी जो अनुसूचित जनजाति तथा अन्यल परम्पारागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्योता) अधिनियम 2006 के अन्तमर्गत मान्यर कोई परम्पारागत अधिकार से वंचित हुआ हो;
(iii) कोई व्यरक्तिर जो भूमि को प्रभावित करने वाली सुविधा से हितबद्ध हो;
(iv) व्याक्तिा जिन्हेंन संगत राज्यि कानूनों के अन्तुर्गत काश्तिकारी अधिकार प्राप्तू हो;

(ब) **'विहित'** शब्द का अर्थ है इस अधिनियम के अन्तनर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(भ) **'परियोजना'** शब्द का अर्थ है प्रभावित व्येक्तिययों की संख्या पर विचार किए बिना कोई भी परियोजना जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है;

(म) **'सार्वजनिक प्रयोजन'** शब्द में शामिल हैं-

(i) संघ की नौसेना, सेना, वायुसेना और सशस्त्रा सेना या कोई कार्य जो राष्ट्री□य सुरक्षा या भारत की प्रतिरक्षा या राज्यप पुलिस या लोगों की रक्षा के लिए महत्वकपूर्ण हो से संबंधित रणनीतिक प्रयोजनों के लिए भूमि का प्रावधान;
(ii) समुचित सरकार की अवसंरचनात्म क, औद्योगीकरण या शहरीकरण परियोजनाओं, जिसका लाभ मुख्या रूप से आम लोगों को हो, के लिए भूमि का प्रावधान;
(iii) गांव या शहरी क्षेत्रों के लिए प्रावधान, परियोजना प्रभावित व्य क्तिियों के लिए भूमि का अधिग्रहण ग्रामीण स्थालों का नियोजित विकास या सुधार, गरीबों के आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि का प्रावधान, सरकार द्वारा प्रशासित शैक्षिक तथा स्वाीस्य्लि□ योजनाएं;
(iv) आम लोगों के उपयोग के किसी अन्य् प्रयोजन, जिनमें कंपनियों के लिए भूमि शामिल है, जिसके लिए पूर्व सूचना प्रक्रिया के जरिये कम से कम 80 % लोगों ने अपनी सहमति दे दी है, के लिए भूमि का प्रावधान है;

बशर्ते किनिजी कंपनी जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी परियोजना हेतु अपेक्षित भूमि का एक भाग खरीदने के पश्चाीत् शेष भूमि के अधिग्रहण के लिए समुचित सरकार के हस्तमक्षेप की मांग करती है वह निजी समझौते के जरिए पहले ही अधिगृहीत की जा चुकी भूमि के संबंध में इस अधिनियम का पुनर्वास और पुर्नस्थाधपन प्रावधान के लिए बाध्यभ होगी और वह शेष क्षेत्र जिसके अधिग्रहण की मांग की जानी है, के लिए इस अधिनियम के सभी उपबंधों के द्वारा बाध्यककारी होगी।

(v) गरीब या भूमिहीन या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों से रहने वाले लोगों या सरकार, किसी स्था नीय प्राधिकरण या निगम, जिस पर स्वा मित्वप या नियंत्रण सरकार का हो, के द्वारा आरंभ की गई किसी परियोजना के कार्यान्वकयन के कारण विस्था,पित या प्रभावित व्यिक्तियों के आवासीय परियोजना हेतु भूमि का प्रावधान;

स्प ष्टी करण 'व्यदक्ति' शब्दक में कोई कंपनी या संघ या लोगों का निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं शामिल होगा,

(य) **'अधिग्रहण निकाय'** शब्द का अर्थ है कोई कंपनी, कोई निगमित निकाय, कोई संस्थात या कोई अन्यम संगठन जिनके लिए समुचित सरकार द्वारा भूमि अधिगृहीत की जानी है और इसमें समुचित सरकार शामिल है यदि भूमि का अधिग्रहण ऐसी सरकार के लिए या तो इसके अपने उपयोग के लिए या तत्पश्चा त् ऐसी भूमि सार्वजनिक हित में किसी कंपनी, निगमित निकाय या संस्थाक या अन्यय संगठन को पट्टे,लाईसेन्स या भूमि अंतरण की किसी अन्यी पद्धति के जरिये, जैसा भी मामला हो, अंतरित करने के लिए अधिगृहीत की जाती है ;
(र) ' **पुनर्थार□□पन क्षेत्र'** अर्थ है वह क्षेत्र जहां प्रभावित परिवारों को भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वररूप समुचित सरकार द्वारा पुनर्स्थाकपित किया जाता है;
(ल) **'छोटे किसान'** शब्दद का अर्थ है कोई कृषक जिसके कब्जेा में दो हैक्टेायर तक असिंचित भूमि या एक हैक्टेकयर तक सिंचित भूमि को, परन्तुत सीमान्त किसान से अधिक भूमि हो;
(व) निम्नंलिखित व्यिक्तिकयों को**'कार्य के लिए पात्र '** व्यिक्तिो के रूप में माना जायेगा जैसा कि और जहां तक इसके पश्चाकत् उपबंध किया जाता है (इसे कहा जाये)-

लाभ के लिए हितबद्ध अन्य व्याक्तियों के लिए न्या सियों को किसी ऐसे मामले के संबंध में कार्य के लिए पात्र व्यिक्त माना जायेगा, और यह उस सीमा तक माना जायेगा जहां तक लाभ के लिए हितबद्ध व्य क्ति कार्य कर सके, यदि वह विकलांग नहीं हो;

अव्यिस्कोंर के अभिभावक तथा पागलखाने की समितियों या प्रबंधकों को कार्य के लिए उस सीमा तक पात्र माना जायेगा जहां तक अव्यिस्कभ, विक्षिप्त या दिमागी रूप से कमजोर अन्यत व्य क्ति , यदि वे विकंलागता से मुक्तभ होते तो, कार्य कर सकते;

बशर्ते कि इस अधिनियम के अन्त र्गत कार्यवाहियों के मामले में किसी नजदीकी मित्र या किसी अभिभावक के जरिए कलक्टतर या प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने वाले हितबद्ध व्यकक्तिियों के मामले में (सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश XXXII) के उपबंध,यथा आवश्यजक परिवर्तन सहित लागू होंगे ; और
(श) 'वेबसाइट' शब्दन का अर्थ एकल सूचना संग्रह उपलब्ध9 कराने के लिए आनलाइन प्रस्तुचत समुचित सरकार द्वारा सृजित आनलाइन पोर्टल होगा जिसे लोगों द्वारा देखा जायेगा और वे पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में उठाये जाने वाले कदमों की जानकारी प्राप्ते करेंगे ।

भाग-II

सामाजिक प्रभाव का निर्धारण तथा सार्वजनिक प्रयोजन

आरंभिक जांच

3. सामाजिक प्रभाव आकलन तैयार करना

(1) जब कभी समुचित सरकार सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सौ एकड़ या इससे अधिक भूमि अधिगृहीत करने का विचार करती है तो वास-स्तजर पर ग्राम सभा या शहरी क्षेत्रों में समनुरूप निकाय के परामर्श से प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक प्रभाव आकलन उस रूप में तथा उस समय-सीमा के भीतर किया जाये जैसा कि विनिर्धारित हो। सामाजिक प्रभाव आकलन अध्येयन में निम्न लिखित आकलन शामिल होंगे:

(क) अन्तभर्निहित जनहित का स्व रूप :
(ख) प्रभावित परिवारों का आकलन तथा उनमें से कितनों के विस्था:पित होने की संभावना है;
(ग) सामाजिक-आर्थिक प्रभाव जिससे शेष परिवार जूझ रहे हों;
(घ) प्रस्ताावित अधिग्रहण से प्रभावित होने वाली भूमि, सार्वजनिक तथा निजी, आवास, व्यसवस्थाअओं तथा अन्यव सार्वजनिक सम्पवत्तियों का विस्तासर,
(ड.) क्या् अधिग्रहण के लिए प्रस्ताावित भूमि की सीमा प्रयोजना के लिए अपेक्षित बिल्कुाल न्यूनतम क्षेत्र है;
(च) वित्तीय सामाजिक तथा पर्यावरण संबंधी लागत तथा लाभ;
(छ) क्यात कम या गैर विस्थाबपन तकनीकी रूप से या भौगोलिक रूप से उपलब्ध् नहीं हैं;
(ज) परियोजना के सामाजिक तथा पर्यावरण संबंधी प्रभाव तथा सामाजिक एवं पर्यावरण लागत की तुलना में इनके समाधान का स्वणरूप तथा इसकी लागत एवंम परियोजना की समग्र लागत और लाभ पर इनका प्रभाव ;

(2) उपधारा (1) के अन्त र्गत सामाजिक प्रभाव आकलन करते समय समुचित सरकार अन्यल बातों के साथ-साथ सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पणत्तियों, परिसम्पआत्तियों तथा अवसंरचना विशेष रूप से सड़क, सार्वजनिक परिवहन, जल निकासी, सफाई, पेयजल के स्रोत्रों, पशु के लिए जल के स्रोत्रों, सामुदायिक तालाबों, चरागाहों, पौधे, जनसुविधाओं पर जैसे डाकघरों, उचित मूल्य् की दुकानों, खाद्य भण्डांरण, गोदामों, बिजली आपूर्ति, स्वा,स्य्ूे□ सुविधाएं, स्कूतलों तथा शैक्षिक या प्रशिक्षण सुविधाओं या आंगनबाडियों, बाल-उद्यानों, पूजास्थतलों, परम्पमरागत

जनजातीय संस्थामओं के लिए भूमि, कब्रिस्ता,नों तथा श्मदशानों पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करेगी ।

(3) समुचित सरकार को यह स्पंष्टि करना चाहिए कि सुधारात्मनक उपाय जिन्हेंे विशेष घटक के संबंध में उक्त प्रभाव का समाधान करने के लिए आरंभ किया जाना अपेक्षित है, वह उस क्षेत्र में संचालित केन्द्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, की योजना या कार्यक्रम के अन्तलर्गत उपलब्धस कराये गये से कम न हो ।

4. सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए जन सुनवाई

(1) समुचित सरकार द्वारा यह सुनिश्चिुत किया जाएगा कि प्रभावित क्षेत्र में जन सुनवाई के लिए तारीख, समय और स्था न के बारे में पर्याप्त् प्रचार करते हुए प्रभावित क्षेत्र में जन सुनवाई की जाये ताकि रिकार्ड करने के लिए प्रभावी परिवारों के विचारों के बारे में जानकारी हासिल की जा सके और उसे सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट में शामिल किया जा सके;

इसके अतिरिक्तस समुचित सरकार यह सुनिश्चि त करेगी कि सामाजिक प्रभाव आकलन अध्यियन रिपोर्ट यथा निर्धारित तरीके से प्रभावित क्षेत्र में प्रकाशित की जाये और उसे इस उद्देश्यन के लिए विशेष रूप से सृजित की गयी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से डाला जाये।

(2) जहां पर्यावरण प्रभाव आकलन (ई.आई.ए.) किया जाये वहां सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट की प्रतियां केन्द्री□य सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिए प्राधिकृत प्रभाव आकलन एजेंसी को उपलब्ध कराई जायेंगी।

5. एक विशेषज्ञ दल द्वारा सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट का मूल्यां कन

(1) समुचित सरकार यह सुनिश्चिमत करेगी कि सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट एक स्वातंत्र बहु-अनुशासनिक विशेषज्ञ दल, जैसा कि गठित किया जाये, द्वारा जांच के अधीन होगी;

बशर्ते कि इस प्रकार गठित किये गये विशेषज्ञ दल में निम्न लिखित व्य्क्ति अनिवार्य रूप में शामिल होंगे, यथा :-

(क) दो गैर-सरकारी समाज विज्ञानी;
(ख) पुनर्वास संबंधी दो विशेषज्ञ ; और

(ग) परियोजना से संबंधित क्षेत्र में एक तकनीकी विशेषज्ञ।

(2) विशेषज्ञ समिति सार्वजनिक उद्देश्ये के बारे में विशिष्टल सिफारिशें करेगी कि क्याि अधिकृत की जाने वाली प्रस्ताववित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवश्यसक बिल्कु ल न्यूृनतम है और क्या इससे कम विस्थाीपन के कोई अन्य विकल्पि उपलब्धक नहीं है।

6. सामाजिक प्रभाव आकलन से छूट

जहां अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत तात्काीलिकता उपबंधों का अवलंब लेते हुए भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है तो समुचित सरकार सामाजिक प्रभाव आकलन अध्यअयन करने से छूट दे सकती है।

7. भूमि अधिग्रहण और सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट के लिए प्रस्ताावों की जांच करने हेतु समिति का गठन

(1) जहां अधिग्रहण में भूमि की कोई भी सीमा निहित होगी, वहां भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्ता वों की जांच करने के लिए समुचित सरकार द्वारा मुख्यक सचिव अथवा इसके समकक्ष अधिकारी की अध्यवक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें वित्त विभाग, राजस्वव विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सामाजिक न्याइय विभाग, जन-जातीय कल्याषण विभाग, पंचायती राज और संबंधित विभागों के सचिव शामिल होंगे और संबंधित क्षेत्रों से तीन विशेषज्ञों से अधिक नहीं होंगे।

(2) समिति यह सुनिश्चिवत करेगी कि–

(क) प्रस्तानवित अधिग्रहण के पीछे एक वैधानिक और यथार्थ सार्वजनिक उद्देश्यऔ है जिसमें पहचान की गयी भूमि का अधिग्रहण करने की आवश्यवकता है;

(ख) सार्वजनिक उद्देश्यि सुविधा के सामंजस्यय से और दीर्घावधि में अत्यंधिक लोक हित होगा ताकि सामाजिक प्रभाव आकलन, जहां भी किये गये हों, द्वारा निर्धारित किये गये प्रभाव का औचित्य, बताया जा सके ;

(ग) परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि का केवल बिल्कुकल न्यू नतम क्षेत्र अधिगृहीत किये जाने का प्रस्ता व होगा ;

(घ) उस जिले का कलक्टतर द्वारा जहां भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव् किया जाता है, बंजर, अवक्रमित, ऊसर भूमि के प्रयोग की संभावना का पता लगाया जायेगा और यह कि कृषि भूमि विशेष रूप से सुनिश्चिभत सिंचाई वाली भूमि को एक अंतिम विकल्पि के रूप में ही अधिगृहीत किया जायेगा

बशर्ते कि किसी भी सिंचित बहु-फसली भूमि को किसी भी परिस्थिएति में अधिगृहीत करने का प्रस्तारव नहीं किया जायेगा।

(3) समिति कलक्टीर की रिपोर्ट की जांच करेगी और सामाजिक प्रभाव आकलन संबंधी विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गयी रिपोर्ट और सभी रिपोर्टों पर विचार करने के बाद अधिग्रहण के लिए ऐसे क्षेत्र की सिफारिश करेगी जिसमें लोगों के न्यूानतम विस्था्पन, अवसंरचना, पारिस्थिकतकी में न्यूंनतम बाधा के सिद्धांत का अनुसरण करेगी और प्रभावित लोगों पर विपरीत प्रभाव न्यूंनतम होगा ।

(4) समुचित सरकार समिति के निर्णय को पब्लिक डोमेन में उपलब्धं करायेगी और उसे इस उद्देश्यस के लिए सृजित वेबसाइट पर भी अप-लोड किया जायेगा।

बशर्ते कि जहां धारा 1 (क) की उपधारा(1) (ख) और (1) (ग) में यथा-निर्दिष्ट तरीके से अधिगृहीत की जानी है वहां समिति यह भी सुनिश्चिअत करेगी कि क्या1 निर्धारित किये जाने वाले तरीके से 80% प्रभावित परिवारों की सहमति प्राप्‍त् कर ली गयी है।

भाग-III

अधिसूचना और अधिग्रहण

8. पुनर्वास और पुनर्स्थादपन प्रशासक की नियुक्ति जब कभी समुचित सरकार को यह लगे कि किसी क्षेत्र में, किसी जन प्रयोजन के लिए किसी क्षेत्र में भूमि की आवश्यमकता है या इसकी संभावना है तो वह धारा 31 के उपबंधों के अनुसार और समुचित सरकार द्वारा यथा निर्धारित शर्तों और नियमों के आधार पर पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक की नियुक्तिक करेगी;

9. प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन और तत्संनबंधी अधिकारियों की शक्ति

(1) जब कभी समुचित सरकार को यह लगे कि किसी क्षेत्र में, किसी जन प्रयोजन के लिए किसी क्षेत्र में भूमि की आवश्य कता है अथवा आवश्यमकता होने की संभावना है तो उस संबंध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिगृहीत किये जाने वाली भूमि के ब्यौहरे सहित एक अधिसूचना निम्न लिखित तरीके से प्रकाशित की जायेगी, यथा :-

(i) सरकारी राजपत्र में ;
(ii) उस क्षेत्र में परिचालन करते हुए दो दैनिक समाचार पत्रों में जिनमें से एक क्षेत्रीय भाषा में होगा ;
(iii) समुचित सरकार की वेबसाइट पर पब्लिचक डोमेने में ;
(iv) तहसील अथवा ग्राम पंचायत या शहरी स्थाचनीय निकाय कार्यालय में प्रभावित व्येक्तिंयों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराकर ;
(v) कलक्टहर द्वारा ऐसी अधिसूचना के सार को कथित क्षेत्र में सुविधाजनक स्थाभनों पर जनता की सूचना के लिए लगा कर; और

बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत कोई अधिसूचना जारी नहीं की जायेगी जब तक कि संबंधित ग्राम स्तसर पर ग्राम सभा और शहरी स्था नीय निकायों में समकक्ष मंच, जैसा भी मामला हो, अथवा छठीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में स्वाययत्त शासी परिषदों से उन क्षेत्रों में उस समय लागू सभी संबंधित कानूनों के उपबंधों के अनुसार भूमि अधिग्रहण के सभी मामलों में परामर्श नहीं किया गया हो :
बशर्ते यह भी कि जहां अधिसूचना की तारीख से 12 महीने की समय सीमा के भीतर उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना के परिणामस्व रूप कोई घोषणा नहीं की गई हो तो उसे व्य पगत समझा जायेगा :

बशर्ते यह भी कि यदि विशेषज्ञ समिति द्वारा सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट के मूल्यां ोकन की तिथि से छ: महीने के भीतर इस धारा के अंतर्गत कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी है तो उसे व्यापगत समझा जायेगा और इस धारा के अंतर्गत अधिग्रहण प्रक्रियाओं से पूर्व एक ताज़ा सामाजिक प्रभाव आकलन कराना होगा।

(2) अधिसूचना के साथ निहित सार्वजनिक प्रयोजन की प्रकृति के संबंध में एक विवरण भी दिया जाएगा कि कम विस्था पन के विकल्पन व्यववहारिक क्यों नहीं है तथा सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट का सारांश और इस अधिनियम के अंतर्गत पुर्नवास और पुनर्स्थालपन के उद्देश्य से नियुक्तग प्रशासक के विवरण भी दिये जाएंगें।

(3) कोई भी व्यपक्तिश प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्टि भूमि का कोई लेन-देन नहीं करेगा अथवा लेन-देन का कारण नहीं बनेगा अथवा इस भाग के अंतर्गत कार्यवाहियां पूरी होने तक ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ऐसी भूमि पर कोई बाधा उत्पंन्न नहीं करेगा:

बशर्ते कि ऐसी अधिसूचित भूमि के बारे में भूमि स्वागमी द्वारा दिये गये आवेदन पर कलक्टेर विशेष परिस्थि‍तियों में ऐसे भूमि स्वा मी को लिखित में रिकार्ड करके इस उप धारा के लागू होने से छूट प्रदान कर सकता है:

बशर्ते यह भी कि किसी व्यि‍क्तिा द्वारा इस उपबंध के जान-बूझकर उल्लंअघन के कारण हुए किसी नुकसान अथवा क्षति की भरपाई कलक्टिर द्वारा नहीं की जायेगी।

(4) उप-धारा (1) के अंतर्गत नोटिस जारी करने के पश्चादत् धारा 18 के अंतर्गत किसी घोषणा के जारी होने के पूर्व कलक्टार द्वारा निर्धारित किये अनुसार भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने की कार्यवाही शुरू की जायेगी और उसे पूरा किया जायेगा।

(5) भूमि संबंधी सर्वेक्षण, उप-मृदा की खुदाई अथवा बोरिंग, सीमाएं चिह्नित करने या खाईयां खोदने या किसी खड़ी फसल, बाड़ या जंगल को साफ करने से हुई क्षति या ऐसा कोई अन्यो कार्य अथवा़ काम करने, जिनसे इस अधिनियम के तहत कार्य करते समय क्षति हो सकती है और विशेष रूप से उस भूमि के संबंध में, जो अधिग्रहण प्रक्रिया से बाहर रखी गई हो, को खाली करवाया जाएगा और उस भूमि के हितबद्ध व्यणक्ति यों को उपर्युक्तग कार्यों के पूरा होने के छ: माह के भीतर मुआवजा दिया जाएगा।

10. क्षति के लिए भुगतान

इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत ऐसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी प्रविष्टिई के समय हुई किसी भी क्षति के लिए भुगतान किया जायेगा अथवा भुगतान की कार्यवाही की जायेगी

और इस प्रकार किये गये भुगतान और भुगतान की कार्यवाही में राशि की पर्याप्तेता के बारे में किसी विवाद के मामले में वह कलक्टार अथवा जिले के अन्यक मुख्यऔ राजस्वम अधिकारी के समक्ष विवाद को तत्कामल रेफर करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

11. आपत्तियों की सुनवाई :

(1) धारा 9 की उप धारा (1) के अंतर्गत ऐसी किसी भूमि जिसे अधिसूचित कर दिया गया है, कोई व्यउक्ति किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यूकता अथवा आवश्यैकता की संभावना के लिए इच्छुिक हो तो वह अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट और सार्वजनिक उद्देश्य के लिए औचित्यी देते हुए प्रस्तािवित अधिगृहीत की जाने वाली भूमि के पर्याप्त विकल्प के बारे में आपत्ति कर सकता है;

(2) उप धारा (1) के अंतर्गत प्रत्येरक आपत्ति को लिखित में कलक्टलर को दिया जायेगा और कलक्टउर द्वारा आपत्तिकर्ता को व्यगक्तिकगत रूप से अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्य क्ति् अथवा अधिवक्ताय को उसकी ओर से सुनवाई करने का एक अवसर प्रदान किया जायेगा और ऐसी सभी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चासत् और आगे की जांच, यदि वह आवश्यईक समझे, करने के बाद धारा 9 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित की गई भूमि के बारे में या तो एक रिपोर्ट बनायेगा अथवा आपत्तियों पर उसकी सिफारिशों के साथ उसके द्वारा की गयी कार्यवाही का रिकार्ड और भूमि अधिग्रहण की अनुमानित लागत, संभावित पुनर्स्था पन के लिए प्रभावित परिवारों की संख्याव के ब्यौभरे सहित समुचित सरकार को उसके निर्णय के लिए ऐसी भूमि के विभिन्नं हिस्सों के बारे में अलग-अलग रिपोर्टें देगा;

(3) आपत्तियों पर समुचित सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।

12. प्रशासक द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थागपन योजना तैयार करना :

(1) कलक्टिर द्वारा धारा 9 के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के बाद पुनर्वास और पुनर्स्थालपन के लिए प्रशासक एक बेसलाइन सर्वेक्षण करेगा और निर्धारित किये अनुसार प्रभावित परिवारों की गणना करेगा लेकिन उसमें ये शामिल होंगे :-

(क) अधिगृहीत की जा रही भूमि और अचल सम्पशत्तियों के प्रभावित परिवार-वार, भूमि खोने वाले और भूमिहीन जो मुख्यि रूप से अधिगृहीत की जाने वाली भूमि पर निर्भर हैं, के ब्यौअरे ;

(ख) जहां प्रभावित परिवारों का पुनर्स्थाेपन निहित हो :-

(i) सार्वजनिक स्थाल और सरकारी भवन जो प्रभावित है अथवा जिनके प्रभावित होने की संभावना है, की सूची ;

(ii) सुविधाओं और अवसंरचनात्मह‍क सुविधाएं जो प्रभावित हैं अथवा जिनके प्रभावित होने की संभावना है, के ब्यौ रे ।

(2) पुनर्वास और पुनर्स्थाापन प्रशासक द्वारा ऊपर दिये गये ब्यौ रे के अनुसार बेसलाइन सर्वेक्षण और गणना के आधार पर निर्धारित किये गये अनुसार पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना तैयार की जायेगी जिसमें निम्ना शामिल होगा:-

(क) अधिगृहीत की जा रही भूमि और अचल सम्प त्तियों के प्रभावित परिवार-वार, भूमि खोने वाले और भूमिहीन जो मुख्यि रूप से अधिगृहीत की जाने वाली भूमि पर निर्भर हैं, के ब्यौअरे:-

(i) पुनर्स्थांपन क्षेत्र में उपलब्धे कराये जाने वाले सरकारी भवनों की सूची;

(ii) सुविधाएं और अवसंरचनात्ममक सुविधाएं जो प्रभावित हैं अथवा जिनके प्रभावित होने की संभावना है, के ब्यौधरे;

(3) मसौदा पुनर्वास और पुनर्स्थाृपन योजना में पुनर्वास और पुनर्स्था पन योजना के कार्यान्विसयन के लिए समय-सीमा शामिल होगी;

(4) मसौदा पुनर्वास और पुनर्स्थांपन योजना का प्रभावित क्षेत्रों में स्थायनीय रूप से व्याापक प्रचार किया जायेगा और उसके बारे में संबंधित ग्राम सभाओं अथवा शहरी क्षेत्र में समकक्ष निकाय में चर्चा की जायेगी;

(5) प्रभावित क्षेत्र में जन सुनवाई के लिए दिनांक, समय और स्थाेन के बारे में पर्याप्तप प्रचार करते हुए निर्धारित के अनुसार एक जन सुनवाई का आयोजन किया जायेगा । जहां प्रभावित क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत से अधिक शामिल होंगी वहां प्रत्ये।क ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में समकक्ष मंच में जन सुनवाई का आयोजन किया जायेगा;

बशर्ते कि पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के साथ परामर्श, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तागर) अधिनियम 1996 के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा।

(6) पुनर्वास और पुनर्स्थादपन के लिए प्रशासक द्वारा जन सुनवाई पूरी होने के बाद पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए योजना को जन सुनवाई में उठाये गये दावों और आपत्तियों पर एक विशेष रिपोर्ट सहित कलक्ट र को प्रस्तुनत किया जायेगा।

(7) प्रशासक द्वारा अनुमोदित पुनर्वास और पुनर्स्थानपन योजना को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कराया जायेगा और उसे प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्धत कराने के साथ-साथ उसकी एक प्रति वेबसाइट पर भी डाली जायेगी।

13. पुनर्वास और पुनर्स्थागपन योजना की समीक्षा

(1) प्रशासक द्वारा प्रस्तुीत की गयी योजना को कलक्टनर द्वारा धारा 33 के अंतर्गत परियोजना स्तिर पर गठित पुनर्वास और पुनर्स्थायपन समिति के साथ समीक्षा की जायेगी;
(2) कलक्टरर द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थाापन योजना को अपनी टिप्प णियों सहित योजना के अनुमोदन हेतु पुनर्वास और पुनर्स्थाापन आयुक्तु को प्रस्तुनत किया जायेगा।

14. यह घोषणा कि भूमि की आवश्याकता सार्वजनिक प्रयोजन के लिए है और पुनर्वास और पुनर्स्था पन सार का प्रकाशन

(1) यह समुचित सरकार धारा 11 की उप धारा (2) के अंतर्गत प्रस्तुरत रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद संतुष्ट1 होती है कि किसी विशिष्ट भूमि की आवश्यपकता सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है तो इस संबंध में एक घोषणा की जायेगी और इसके साथ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थाधपन के उद्देश्यग के लिए'पुनर्वास क्षेत्र' के रूप में पहचान किये गये क्षेत्र के रूप में एक घोषणा ऐसी सरकार के सचिव अथवा और उसके आदेशों को प्रमाणित करने के लिए विधिवत रूप से अधिकृत किसी अधिकारी के हस्ता क्षर से जारी की जायेगी और इस बात पर ध्या न दिये बिना की एक रिपोर्ट या अलग-अलग रिपोर्टें प्रस्तु त की गयी हैं (जहां कहीं भी आवश्यिक हो) उस अधिसूचना द्वारा, उस अधिसूचना में शामिल किसी भूमि के विभिन्न भागों के बारे में समय-समय पर अलग-अलग घोषणाएं की जायेंगी;

(2) कलक्टभर द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थाहपन योजना का सारांश मसौदा घोषणा के साथ प्रकाशित कराया जायेगा ।

बशर्ते कि जब तक ऐसी घोषणा के साथ पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना के सारांश को प्रकाशित नहीं कराया जाता तब तक इस उप धारा के अंतर्गत कोई घोषणा नहीं की जायेगी।

बशर्ते यह भी कि जब तक अधिग्रहण करने वाला निकाय, अधिग्रहण की लागत के प्रति समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार पूरी अथवा आंशिक राशि जमा नहीं करा दी जाती तब तक इस उपधारा के अंतर्गत कोई घोषणा नहीं की जायेगी।

(3) प्रत्येअक घोषणा सरकारी राजपत्र और जिस क्षेत्र में भूमि स्थिरत है उस क्षेत्र में परिचालान के लिए दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जायेगी जिसमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में होगी और कलक्ट र द्वारा पब्लिाक नोटिस को वेबसाइट पर प्रकाशित कराया जायेगा और ऐसी घोषणा के साथ कथित क्षेत्र में सुविधाजनक स्था नों पर सार्वजनिक नोटिस लगवाया जाएगा (ऐसे प्रकाशन और ऐसे सार्वजनिक नोटिस देने की अंतिम तिथि को इसके बाद घोषणा के प्रकाशन की तिथि कहा जायेगा), और ऐसी घोषणा में उस जिले अथवा अन्यद प्रादेशिक संभाग जिसमें भूमि स्थिित है, वह उद्देश्य जिसके लिए इसकी आवश्याकता है, और इसका अनुमानित क्षेत्र, और जहां भूमि के लिए प्लान बनाया जाएगा, जहां वह स्था न जहां ऐसी योजना का निरीक्षण किया जायेगा, का उल्लेपख किया जायेगा।

(4) उक्त घोषणा इसका निर्णायक दस्ताकवेज होगा कि भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है और, ऐसी घोषणा करने के पश्चाित समुचित सरकार तत्पनश्चाकत् उल्लियखित पद्धति में भूमि अर्जित कर सकती है।

15. चिह्नित की जाने वाली, मापी जाने वाली तथा आयोजनाबद्ध की जाने वाली भूमि

(1) कलक्टिर, इसके बाद भूमि को चिह्नित करने का कार्य करेगा (यदि इसे धारा 9 के तहत पहले ही चिह्नित नहीं किया गया है)। वह इसे मापने और (यदि तत्संीबंधी कोई योजना नहीं बनाई गई है) तो इसके लिए एक आयोजना बनाए जाने हेतु भी कार्य करेगा।

16. हितबद्ध व्यनक्तिकयों को नोटिस

(1) कलक्ट्र वेबसाइट पर पब्लिनक नोटिस प्रकाशित करेगा और अधिगृहीत की जाने वाली भूमि पर अथवा उसके आसपास के सुविधाजनक स्थालनों पर पब्लिाक नोटिस देने हेतु कार्य करेगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि सरकार भूमि का कब्जाल लेने का इरादा रखती है और यह कि ऐसी भूमि में सभी हितबद्ध व्य क्तिरयों के लिए मुआवजे तथा पुनर्वास और पुनर्स्थाहपन हेतु दावे उसके पास भेजे जाएं।

ऐसे नोटिसों में आवश्य क भूमि का ब्यौतरा दिया जाएगा और सभी भूमि हितबद्ध व्य क्तिीयों को व्य क्तिवगत रूप से अथवा एजेंट अथवा अधिवक्ताए के माध्यबम से उसमें उल्लिाखित एक ही समय और स्थाि‍न पर कलक्टतर के समक्ष उपस्थिात होना आवश्य क होगा, और भूमि पर उनके संबंधित हितों के स्वथरूप और राशि तथा ऐसे हितों के लिए मुआवजे के संबंध में उनके दावों, धारा 15 के तहत की गई पैमाइश के प्रति उनकी आपत्तिऐयों(यदि कोई हों) के साथ-साथ पुनर्वास और पुनर्स्था पन हेतु उनका ब्यौतरा भी दर्शाया जाएगा।
कलक्टसर को किसी भी मामले में लिखित में ऐसा विवरण देना और पक्षकार अथवा उसके एजेंट द्वारा उसे हस्ता‍ेक्षरित करना आवश्यिक होगा।

कलक्टार ऐसी भूमि के अधिभोगी(यदि कोई हो) और ऐसे सभी ज्ञात व्येक्तियों अथवा जिनके उसमें हितबद्ध होने का विश्वाधस हो, अथवा ऐसे हितबद्ध व्यभक्तिंयों, जो वहां निवास करते हों या जिनकी ओर से सेवा प्राप्ता करने हेतु उस राजस्वथ जिले, जहां पर भूमि अवस्थिरत हो, के भीतर उनके प्राधिकृत एजेंट हों, को कार्य करने के लिए हकदार बनाने हेतु भी नोटिस देगा।

यदि कोई ऐसा हितबद्ध व्यंक्ति अन्यनत्र निवास करता हो, और उसका कोई ऐसा एजेंट नहीं हो तो उसके अंतिम ज्ञात आवास या स्थायन या व्ययवसाय के पते पर उसे सम्बोधित पत्र में यह नोटिस डाक द्वारा भेजा जाएगा और उसे भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898(1898 का 6) की धारा 28 और 29 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा।

17. नामों और हितों के रूप में विवरण देने को आवश्य1क बनाने और लागू करने की शक्तिा

(1) कलक्ट र, उल्लेि‍ख किए गए एक ही समय और स्थानन (ऐसा समय जो मांग की तारीख के बाद पंद्रह दिनों से पहले का नहीं हो) पर ऐसे किसी भी व्यहक्ति् के लिए विवरण बनाना अथवा उस तक पहुंचाना आवश्यपक बनाएगा जिसमें, जहां तक व्यमवहार्य हो, प्रत्येथक अन्या व्यतक्तिो का नाम शामिल हो, जिसका भूमि में अथवा तत्सं बंधी उसके किसी भाग में सह-स्वावमी, उप-स्वामी, गिरवीदार, काश्तिकार या अन्यतथा के रूप में कोई हित हो।

ऐसे प्रत्योक व्यि‍क्तय, जिसके लिए इस धारा के तहत विवरण बनाना अथवा देना आवश्य्क होगा, को ऐसा करने के लिए भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 175 और 176 के तात्पसर्य के तहत विधिक रूप से बाध्य समझा जाएगा।

18. कलक्टशर द्वारा जांच और भूमि अधिग्रहण अधिनिर्णय

(1) इस प्रकार निर्धारित किसी दिन, अथवा किसी भी ऐसे दिन जब तक के लिए जांच को स्थागित किया गया है, कलक्ट र आपत्ति यों (यदि कोई हों), जिनका किसी हितबद्ध व्यवक्ति द्वारा धारा 16 के तहत दिए गए नोटिस के अनुसार उल्लेआख किया गया है, की जांच को आगे बढ़ाएगा और धारा 15 के तहत की गई पैमाइश और अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को भूमि के मूल्यक्मुआवजे तथा पुनर्वास और पुनर्स्थाशपन का दावा करने वाले व्य क्तिियों के संगत हितों में अपने अधिकार क्षेत्र के तहत निम्न लिखित के संबंध में अधिनिर्णय देगा-

(i) भूमि का वास्तनविक क्षेत्र;

(ii) धारा 12 के अंतर्गत पुनर्वास और पुनर्स्थाअपन योजना सहित यथानिर्धारित मुआवजा और जो उनके विचार से भूमि के लिए अनुमत किया जाना चाहिए; और

(iii) सभी व्य क्तिएयों, जिनका भूमि में हितबद्ध होने की जानकारी हो अथवा विश्वा स हो, जिन्हेंअ, अथवा जिनके दावों के संबंध में उसे सूचना प्राप्तव है, के बीच उक्तव मुआवजे का प्रभाजन, चाहे वे क्रमश: उसके समक्ष प्रस्तुउत हुए हैं अथवा नहीं।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्टे किसी बात के होते हुए भी, किसी मामले में जहां इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी परंतु इसके लागू होने से पूर्व उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिनिर्णय नहीं दिया गया है, कलक्ट र अधिनियम के लागू होने से एक वर्ष के भीतर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अधिनिर्णय देगा।

19. वह अवधि जिसके भीतर अधिनिर्णय दिया जाएगा

(1) कलक्टधर धारा 9 के तहत की गई घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर अधिनिर्णय देगा और यदि इस अवधि के भीतर कोई अधिनिर्णय नहीं दिया जाता है तो भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्त कार्यवाहियां व्यनपगत हो जाएंगी।

20. कलक्टशर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य् का निर्धारण

(1) कलक्टशर भूमि के बाजार मूल्य का आकलन करने और उसे निर्धारित करने में निम्नअलिखित मापदंड को अपनाएगा;-

(क) जिस क्षेत्र में भूमि अवस्थिलत है, वहां पर विक्रय विलेखों के पंजीकरण के लिए भारतीय स्टॉहम्प् अधिनियम, 1899 में विनिर्दिष्ट न्यू नतम भूमि मूल्यत; अथवा

(ख) गांव या आसपास के क्षेत्र में अवस्थिकत उसी प्रकार की भूमि के लिए, जहां पर उच्चखतर मूल्यय का भुगतान किया गया है, विगत तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत किए गए विक्रय विलेखों के पचास प्रतिशत से निर्धारित औसत विक्रय मूल्यथ; अथवा
जो भी उच्चेतर हो:

बशर्ते कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार परिकलित बाजार मूल्यी को तीन से गुणा किया जाएगा।

(2) जहां पर उप-धारा(1) के उपबंध निम्नकलिखित कारणों से लागू नहीं हैं कि-

(क) भूमि ऐसे क्षेत्र में अवस्थिात है जहां पर भूमि का क्रय-विक्रय कुछ समय के लिए उस क्षेत्र में प्रवृत्तष किसी अन्यक कानून के अंतर्गत प्रतिबंधित है; अथवा

(ख) उप-धारा (1) के खंड (i) में यथा उल्लि खित उसी प्रकार की भूमि के लिए विगत तीन वर्षों से पंजीकृत विक्रय विलेख उपलब्धय नहीं हैं; अथवा

(ग) समुचित प्राधिकारी द्वारा भारतीय स्टॉधम्पम अधिनियम, 1899 के तहत न्यूगनतम भूमि मूल्यि विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है,

वहां पर संबंधित राज्यि सरकार साथ लगे हुए क्षेत्रों या आसपास के क्षेत्र, जहां पर उच्च तर मूल्यप का भुगतान किया गया है, में अवस्थियत उसी प्रकार की भूमि के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत किए गए विक्रय विलेखों के पचास प्रतिशत से निर्धारित औसत उच्चोतर मूल्यृ पर अदा किए गए मूल्यप के आधार पर उक्त् भूमि का प्रति यूनिट एरिया के अनुसार फ्लोर मूल्यल विनिर्दिष्टक करेगी, और कलक्टतर तदनुसार भूमि का मूल्यि परिकलित करेगा।

बशर्ते कि अर्जनकारी प्राधिकारी द्वारा, जहां कहीं संभव हो, अर्जनकारी प्राधिकारी अथवा अपनी सहयोगी कम्पअनियों से संबंधित शेयरों में मुआवजा मूल्य के 25 प्रतिशत का प्रस्ताअव दिया जाए।

21. कलक्टकर द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनिर्णय के घटक

(1) कलक्टकर अधिगृहीत की जाने वाली भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के बाद भूमि से सम्बटद्ध सभी परिसम्पातियों सहित भू-स्वायमी को अदा की जाने वाली कुल मुआवजा राशि का परिकलन करेगा। इस हेतु कलक्ट्र ;

(क) बिल्डिंलग और अन्य अचल सम्पित्तिू अथवा अधिगृहीत की जाने वाली भूमि या बिल्डिंिग से सम्ब द्ध परिसम्पलत्तितयों का बाजार मूल्य निर्धारित करने में एक सक्षम इंजीनियर या संगत क्षेत्र में किसी अन्यस विशेषज्ञ, जैसाकि कलक्ट र द्वारा आवश्य क समझा जाए, की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

(ख) वृक्षों और पौधों का मूल्यी निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु कृषि, वानिकी, बागवानी, रेशम-कीट पालन, अथवा किसी अन्यर क्षेत्र में अनुभवी व्य्क्तियों की सेवाओं, जैसा कि कलक्टीर द्वारा आवश्याक समझा जाए, का उपयोग किया जाए।

(ग) भूमि अधिग्रहण कार्यवाहियों की प्रक्रिया के दौरान क्षतिग्रस्तज खड़ी फसलों के मूल्य) का आकलन करने के प्रयोजन हेतु कृषि क्षेत्र में अनुभवी व्यएक्तीयों, जैसाकि वह आवश्यिक समझे, की सेवाओं को उपयोग में ला सकता है।

(2) कलक्ट र अदा किए जाने वाले कुल मुआवजे का निर्धारण करने के बाद, अंतिम अधिनिर्णय तक पहुंचने के लिए, मुआवजा राशि के 100 प्रतिशत के बराबर एक 'तोषण' राशि अधिरोपित करेगा।

(3) अदा किए जाने वाले मुआवजे का ब्यौ रा तथा इस अधिनियम की अनुसूची । में यथाविनिर्धारित मुआवजे के भुगतान का ब्यौ रा देते हुए कलक्टधर अलग-अलग अधिनिर्णय जारी करेगा।

22. कलक्टआर द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थाुपन अधिनिर्णय

कलक्टकर, अधिनियम की अनुसूचीII। में उपबंधित अनिवार्य हकदारियों के रूप में पुनर्वास और पुनर्स्थाटपन अधिनिर्णय पारित करेगा। निम्न।लिखित दर्शाते हुए, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनिर्णय के तहत शामिल किए गए प्रत्येरक परिवार का परिवार-वार विवरण दिया जाएगा;

(क) परिवार को देय पुनर्वास और पुनर्स्थापन राशि और व्यपक्तिव का बैंक खाता नंबर, जिसमें पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनिर्णय राशि अंतरित की जानी होगी;

(ख) विस्थासपित परिवारों के मामले में आवंटित किए जाने वाले आवास स्थ ल और आवास का ब्यौरा;

(ग) विस्थासपित व्यवक्तिलयों को आवंटित भूमि का ब्यौथरा;

(घ) विस्थासपित परिवारों के मामले में एक बारगी जीविका भत्तेब, परिवहन भत्तो का ब्यौररा;

(ङ) पशुशाला/ छोटी दुकानों के लिए भुगतान का ब्यौतरा;

(च) कारीगरों और छोटे व्याोपारियों की एक बारगी राशि का ब्यौररा;

(छ) प्रभावित परिवारों के सदस्यों□ को प्रदान किए जाने वाले अनिवार्य रोजगार का ब्यौररा;

(ज) इनमें शामिल किए जाने वाले मछली पकड़ने के अधिकारों का ब्यौरा;

(झ) प्रदान की जाने वाली वार्षिक भृत्तिंयों और अन्यक हकदारियों का ब्यौभरा;

(ञ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए किए जाने वाले विशेष उपबंधों का ब्यौजरा;

23. पुनर्स्थाजपन क्षेत्र में अवसंरचनात्मकक सुख-सुविधाओं के लिए उपबंध

जहां पर एक सौ से अधिक परिवार विस्थाषपित होते हों तो कलक्टकर इस अधिनियम की अनुसूची ।।। में दी गई सूची के अनुसार सभी अवसंरचनात्मकक और मूलभूत सुख-सुविधाओं की व्य वस्थास सुनिश्चिीत करेगा।

24. कलक्टअर द्वारा अधिनिर्णय में संशोधन

(1) कलक्टअर, किसी भी समय परंतु अधिनिर्णय की तारीख से छ: माह से बाद नहीं अथवा जहां उसके लिए इस अधिनियम के उपबंधों के तहत प्राधिकारी को संदर्भ देना आवश्यजक हो, ऐसा संदर्भ देने से पहले आदेश द्वारा, किसी भी अधिनिर्णय में लिपिकीय

अथवा अंकगणितीय संबंधी त्रुटियों अथवा उसके अपने प्रस्ताेव या किसी हितबद्ध व्यनक्तिि या स्थाकनीय प्राधिकारी के आवेदन में से किसी में भी उत्पान्नि त्रुटियों में सुधार कर सकता है **बशर्ते कि** ऐसा कोई संशोधन, जिससे किसी व्यतक्तिन के प्रतिकूलत: प्रभावित होने की संभावना हो, नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे व्यिक्ति को मामले में अभ्या वेदन प्रस्तु त करने का पर्याप्त, अवसर प्रदान नहीं किया जाता।

(2) कलक्ट र, इस प्रकार संशोधित अधिनिर्णय में किए गए किसी भी प्रकार के त्रुटि सुधारों के संबंध में सभी हितबद्ध व्यनक्ति यों को तत्कांल नोटिस देगा।

(3) जहां पर उप-धारा (1) के तहत किए गए संशोधन के परिणामस्वकरूप किसी व्याक्तिप को अतिरिक्तन राशि का भुगतान प्रमाणित हो चुका हो तो इस प्रकार भुगतान की गई अतिरिक्तस राशि वापस की जानी होगी और किसी चूक अथवा भुगतान से इन्का र के मामले में, समुचित सरकार द्वारा विनिर्धारित किए गए अनुसार, इसकी वसूली की जाएगी।

25. कलक्टपर के अधिनिर्णय को अंतिम रूप कब दिया जाए

(1) जैसाकि इसके आगे उपबंध किया गया है को छोड़कर, अधिनिर्णयों को कलक्टकर के कार्यालय में पेश किया जाएगा और यह, कलक्टकर और हितबद्ध व्योक्तियों, चाहे वे कलक्टरर के समक्ष क्रमश: हाजिर हुए हैं या नहीं, वास्तोविक क्षेत्र और भूमि तथा उससे सम्बटद्ध परिसम्पकतियों के बाजार मूल्य , और हितबद्ध व्यिक्ततयों के बीच मुआवजे के प्रभाजन का एक अंतिम और निर्णायक प्रमाण होगा।

(2) कलक्टिर, ऐसे हितबद्ध व्यरक्तिबयों को अपने अधिनिर्णयों का तत्कासल नोटिस देगा जो अधिनिर्णय दिए जाने के समय व्य क्तिगत रूप से अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थिनत नहीं हों।

(3) कलक्टहर, इस अधिनियम के अंतर्गत अंतिम रूप से अधिगृहीत की गई भूमि के ब्यौ3रे सहित प्रत्येेक व्यअक्तिर को दिए गए मुआवजे की राशि सहित भूमि के अधिग्रहण के मामले में शुरू की गई समग्र कार्यवाहियों के सार को इस प्रयोजन हेतु तैयार की गई वेबसाइट पर जनता के लिए खुला रखेगा और दर्शाएगा।

26. जांच का स्थिगन

कलक्टइर, समय-समय पर किसी भी कारण से, जिसे वह उचित समझे, जांच को उसके द्वारा निर्धारित दिन तक के लिए स्थनगित कर सकता है।

27. गवाहों को बुलाने और उन्हें उपस्थिणत होने के लिए बाध्यच करने तथा दस्तासवेज प्रस्तुनत करने की शक्तिऔ

कलक्टतर को, इस अधिनियम के अंतर्गत जांच के प्रयोजनार्थ गवाहों, उनमें से किसी भी हितबद्ध पक्षकार सहित, को बुलाने और उन्हेंज उपस्थिएत होने के लिए बाध्यभ करने और उसी पद्धति और(अभी तक जैसा की हो) उसी रीति से, जैसाकि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908(1908 का 5) के अंतर्गत सिविल कोर्ट के मामले में उपबंध किया गया है, दस्तावेज प्रस्तुकत करने हेतु उन्हें□ बाध्यव करने की शक्तिय प्राप्ती होगी।

28. अभिलेखों, आदि को मंगवाने की शक्ति

समुचित सरकार, कलक्टरर द्वारा अधिनिर्णय दिए जाने से पूर्व किसी भी प्रकार के निष्किर्षों की वैधता अथवा औचित्यता अथवा पारित आदेश अथवा ऐसी किसी भी कार्यवाही की नियमितता के प्रति स्वभयं को संतुष्ट करने के प्रयोजन हेतु किसी भी समय धारा 18 के तहत किसी भी कार्यवाही का रिकार्ड (चाहे जांच के माध्यपम से अथवा अन्यसथा) मंगवा सकती है और जैसाकि वह उचित समझे ऐसा कोई आदेश पारित कर सकती है अथवा इस संबंध में निदेश जारी कर सकती है:

बशर्ते कि समुचित सरकार कोई ऐसा आदेश अथवा निदेश पारित या जारी नहीं करेगी जिससे ऐसे व्यचक्तिको सुनवाई का यथोचित अवसर दिए बिना उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

29. कब्जा् लेने की शक्तित

(1) कलक्टतर यह सुनिश्चि त करेगा कि मुआवजे और पुनर्वास तथा पुनर्स्थाकपन हकदारियों के पात्र व्य क्ति यों को पूर्ण भुगतान मुआवजे के संबंध में तीन माह की अवधि के

भीतर तथा पुनर्वास और पुनर्स्थाापन हकदारियों के संबंध में छ: माह की अवधि के भीतर हो, जो धारा 18 के तहत अधिनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होगा;
(2) कलक्टोर यह सुनिश्चि त करने के लिए उत्त रदायी होगा कि पुनर्वास और पुनर्स्था पन प्रक्रिया पूर्ण रूप से पूरी हो चुकी है;

(3) उपरोक्तन उप-धारा (1) और (2) में उपबंधित शर्त के पूरा होने पर, कलक्टुर अधिगृहीत की गई भूमि का कब्जात लेगा, जो उसके बाद सरकार के पास रहेगी और सभी प्रकार के विल्लंूगमों से मुक्तल होगी।

30. तात्काालिकता के मामलों में विशेष शक्ति यां

(1) तात्कािलिकता के मामलों में, जब भी समुचित सरकार ऐसा निर्देश दे, कलक्टकर, यद्यपि ऐसा कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है, धारा 9 में उल्लिाखित नोटिस के प्रकाशन से पंद्रह दिनों के पूरा होने पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यसक किसी भी भूमि का कब्जाद ले सकता है। ऐसी भूमि इसके बाद पूर्णतया सरकार के पास रहेगी, जो सभी प्रकार के विल्लं गमों से मुक्तस होगी।

(2) समुचित सरकार की शक्ति यां, उप-धारा (1) के अंतर्गत भारत की रक्षा अथवा राष्ट्री□य सुरक्षा अथवा प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पान्न हुई किसी भी प्रकार की तात्का्लिकताओं के लिए अपेक्षित न्यूकनतम क्षेत्र तक सीमित होंगी।

बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत सूचीबद्ध शक्तियों को **दुर्लभ से दुर्लभतम** मामलों में प्रयोग किया जाएगा।

बशर्ते यह भी कि कलक्टकर, इस उप-धारा के अंतर्गत किसी भी बिल्डिंाग अथवा बिल्डिंाग के किसी हिस्सेि का कब्जा , उसके ऐसा करने के इरादे के बारे में कब्जा धारी को कम से कम अड़तालीस घंटे, अथवा ऐसी लंबी अवधि, जो ऐसे कब्जा धारी को ऐसी बिल्डि्ग से अपनी चल सम्पसत्तिर बिना किसी अनावश्य,क असुविधा के हटाने के लिए यथोचित रूप से पर्याप्ति हो, का नोटिस दिए बिना नहीं लेगा।

(3) कलक्टार, उप-धारा(1) अथवा उप-धारा (2) के अंतर्गत किसी भी भूमि का कब्जाक लेने से पहले, उसके द्वारा अनुमानित भूमि के लिए हितबद्ध व्य)क्तिउ, जो इसका हकदार हो, को मुआवजे की अस्सी प्रतिशत राशि का भुगतान करेगा;

(4) ऐसी किसी भी भूमि के मामले में जिसके लिए, समुचित सरकार के विचार से, उप-धारा(1), उप-धारा (2) अथवा उप-धारा(3) के उपबंध लागू हैं, समुचित सरकार यह निर्देश दे सकती है कि भाग ।। का कोई भी अथवा सभी उपबंध लागू नहीं होंगे, और यदि वह ऐसा करने का निर्देश देती है तो धारा 9, उप-धारा(1) के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के बाद किसी भी समय भूमि के संबंध में धारा 18 के अंतर्गत घोषणा की जा सकती है।

(5) कलक्टकर द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत यथानिर्धारित बाजार मूल्यग के पचहत्तीर प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान उस भूमि और सम्पात्तिब के संबंध में किया जाएगा, जिसके अधिग्रहण के लिए इस धारा की उप-धारा (1) के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की गई है।

भाग IV
पुनर्वास एवं पुनःस्थापन
संस्थागत व्यवस्थाएं

31. पुनर्वास एवं पुनःस्थापन प्रशासक

(1) जहां उपयुक्त सरकार इस बात से संतुष्ट है कि भूमि के अधिग्रहण की वजह से व्यक्तियों का अनैच्छिक विस्थापन होने की संभावना है, तब राज्य सरकार, ऐसी स्थिति में अधिसूचना के जरिए, उस परियोजना के संबंध में कम से कम संयुक्त कलक्टर या अपर कलक्टर या उप कलक्टर या राजस्व विभाग के समकक्ष अधिकारी को पुनर्वास एवं पुनःस्थापन प्रशासक नियुक्त करेगी ।

(2) पुनर्वास एवं पुनःस्थापन प्रशासक को कारगर ढंग से काम-काज करने में सक्षम बनाने और विशेष समय सीमा में कार्य को पूरा करने के लिए ऐसी शक्तियां, कार्य और जिम्मेवारियां सौंपी जाएंगी जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो और उन्हें कार्यालय संबंधी अवसंरचना मुहैया कराई जाएगी तथा उनकी सहायता ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी करेंगे जो उनके स्थान पर कार्य करेंगे जैसा भी उपुयक्त सरकार निर्धारित करें ।

(3) उपयुक्त सरकार और पुनर्वास एवं पुनःस्थापन आयुक्त की निगरानी, निदेशों और नियंत्रण के अधीन पुनर्वास एवं पुनःस्थापन योजना बनाने, इसका निष्पादन और निगरानी करने की जिम्वारी पुनर्वास एवं पुनःस्थापन प्रशासक की होगी ।

32. पुनर्वास एवं पुनःस्थापन आयुक्त

(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनःस्थापन के लिए उस सरकार के आयुक्त या सचिव स्तर के अधिकारी को पुनर्वास एवं पुनःस्थापन अधिकारी के रूप में नियुक्त करेंगी ।

(2) पुनर्वास एवं पुनःस्थापन योजनाओं या प्लानों को बनाने की और योजनाओं या प्लानों के उचित कार्यान्वयन की निगरानी करने की जिम्मेवारी आयुक्त की होगी ।

(3) कार्यान्वयन के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से सामाजिक लेखा परीक्षा कराने की जिम्मेवारी आयुक्त की होगी ।

33. परियोजना स्तर पर पुनर्वास एवं पुनःस्थापन समिति

(1) जहां अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि एक एकड़ या उससे अधिक है, वहां उपयुक्त सरकार पुनर्वास एवं पुनःस्थापन योजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की निगरानी एवं समीक्षा करने तथा कार्यान्वयन के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से सामाजिक लेखा परीक्षा कराने के लिए कलक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी जिसे पुनर्वास एवं पुनःस्थापन समिति कहा जाएगा ।

(2) पुनर्वास एवं पुनःस्थापन समिति में उपयुक्त सरकार के अधिकारियों के अलावा निम्नलिखित सदस्य शामिल होगें, अर्थात :-

(i) प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की एक प्रतिनिधि;
(ii) प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों में प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि;
(iii) क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठन का एक प्रतिनिधि;
(iv) राष्ट्रीयकृत बैंक का एक प्रतिनिधि;
(v) परियोजना का भूमि-अधिग्रहण अधिकारी;
(vi) प्रभावित क्षेत्र में स्थित पंचायतों या नगरपालिकाओं के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति;
(vii) संबंधित क्षेत्र के सांसद या विधायक;
(viii) अपेक्षित निकाय का एक प्रतिनिधि; और
(ix) पुनर्वास एवं पुनःस्थापन प्रशासक - सदस्य-संयोजक ।

(3) इस खंड में दी गई इस प्रक्रिया के निष्पादन को विनियमित करने वाली प्रक्रियाविधि और पुनर्वास एवं पुनःस्थापन समिति से जुड़े अन्य मामले राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार होंगे ।

भाग V

राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनःस्थापन निगरानी समिति

34. राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनःस्थापन निगरानी समिति की स्थापना

(1) केन्द्र सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत पुनर्वास एवं पुनःस्थापन योजनाओं या प्लानों के कार्यान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय निगरानी समिति गठित करेगी ।

(2) समिति में संबंधित मंत्रालयों और केंद्रीय एवं राज्य सरकार के विभागों के प्रतिनिधियों के अलावा संबंधित क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ भी शामिल हो सकते हैं ।

(3) समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाविधि और विशेषज्ञों का देय भत्ता उसी प्रकार का होगा जैसा कि निर्धारित किया गया हो ।

(4) केंद्र सरकार समिति के प्रभावी काम काज के लिए आवश्यक अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी ।

35. सूचना संबंधी जरूरतें

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रीय निगरानी समिति को नियमित एवं समयबद्ध ढंग से और साथ ही जब और जैसे जरूरत पड़ती है, इस अधिनियम के तहत् शामिल किए गए मुद्दों पर सभी प्रकार की सम्बद्ध जानकारी उपलब्ध कराएंगें ।

भाग VI

राज्य एवं केंद्र के लिए भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनःस्थापन विवाद निपटान प्राधिकरण की स्थापना

36.राज्य भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनःस्थापन विवाद निपटान प्राधिकरण की स्थापना

राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन व्यवस्था से संबंधित विवादों का शीघ्र निपटान करने के प्रयोजनार्थ, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके राज्य के लिए भूमि अधिग्रहण विवाद निपटान प्राधिकरण (राज्य का नाम) नाम प्राधिकरण का गठन करेगी जो राज्य सरकार द्वारा भूमि के अधिग्रहण के संबंध में इस अधिनियम के द्वारा या इसके तहत दिए गए क्षेत्राधिकारों, शक्तियों और प्राधिकारों का इस्तेमाल करेगा ।

बशर्ते कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक से अधिक प्राधिकरण या उसकी बेंच का गठन कर सकती है, यदि जरूरी हो तो ।

(2) प्राधिकरण का मुख्यालय उस स्थान में होगा जैसा कि राज्य सरकार ने सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के जरिए विनिर्दिष्ट किया हो ।

(3) प्राधिकरण में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष सहित कम से कम तीन सदस्य होंगे ।

(4) प्राधिकरण के सदस्य योग्य, सत्यनिष्ठ और सूझ वाले व्यक्ति होंगे जिनके पास भूमि अधिग्रहण मामलों, लोक प्रशासन, वित्त, अर्थव्यवस्था और कानून से संबंधित समस्याओं से निपटने की पर्याप्त क्षमता और पूरी जानकारी हो ।

(5) कोई व्यक्ति प्राधिकरण के सदस्य के लिए तब तक योग्य नहीं हो सकता, जब तक कि वह

(i) राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायधीश;

(ii) राज्य सरकार में कम से कम जिला कलक्टर के रैंक का अधिकारी ;

(iii) कानून विभाग में कम से कम निदेशक के रैंक का राज्य सरकार का अधिकारी न हो ।

(6) सेवा की निबंधन एवं शर्तें राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर बनाए गए नियमों के अनुसार होगी ।

37. राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण विवाद निपटान प्राधिकरण की स्थापना

केन्द्र सरकार भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन व्यवस्था से संबंधित विवादों का शीघ्र निपटान करने के प्रयोजनार्थ, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके केन्द्र के लिए राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण विवाद निपटान प्राधिकरण नामक प्राधिकरण का गठन करेगी जो केन्द्र सरकार द्वारा भूमि के अधिग्रहण के संबंध में इस अधिनियम के द्वारा या इसके तहत दिए गए क्षेत्राधिकारों, शक्तियों और प्राधिकारों का इस्तेमाल करेगा।

बशर्ते कि केन्द्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक से अधिक प्राधिकरण या उसकी बेंच का गठन कर सकती है, यदि जरूरी हो तो ।

(2) प्राधिकरण का मुख्यालय उस स्थान में होगा जैसा कि केन्द्र सरकार ने सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के जरिए विनिर्दिष्ट किया हो ।

(3) प्राधिकरण में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष सहित कम से कम तीन सदस्य होंगे ।

(4) प्राधिकरण के सदस्य योग्य, सत्यनिष्ठ और सूझ वाले व्यक्ति होंगे जिनके पास भूमि अधिग्रहण मामलों, लोक प्रशासन, वित्त, अर्थव्यवस्था और कानून से संबंधित समस्याओं से निपटने की पर्याप्त क्षमता और पूरी जानकरी हो ।

(5) कोई व्यक्ति प्राधिकरण के सदस्य के लिए तब तक योग्य नहीं हो सकता, जब तक कि वह

(i) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश/सर्वोच्च न्यायालय का न्यायधीश;

(ii) भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी जिसके पास भूमि अधिग्रहण की पर्याप्त जानकारी हो और जो जिले में कलक्टर के पद पर हो;

(iii) भारत सरकार में संयुक्त सचिव के समकक्ष एक अधिकारी

न हो ।

(6) सेवा की निबंधन एवं शर्ते केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर बनाए गए नियमों के अनुसार होगी ।

38. प्राधिकरण की प्रासंगिकता

(1) कोई भी सम्बद्ध व्यक्ति, जिसे अधिनिर्णय स्वीकार नहीं है, कलक्टर को लिखित में आवेदन देकर यह मांग कर सकता है कि उसका मामला राज्य या केंद्रीय प्राधिकरण के अधिनिर्णयार्थ भेजा जाए, चाहे जैसा भी मामला हो, चाहे उसकी आपत्ति भूमि के मापन, मुआवजे की राशि, मुआवजा पाने वाले व्यक्ति, इस अधिनियम के भाग iii और iv के तहत् पुनर्वास एवं पुनःस्थापन के अधिकारों के प्रति हो या सम्बद्ध व्यक्तियों के बीच मुआवजे के बंटवारे को लेकर हो ।

बशर्ते कि कलक्टर, आवेदन प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर, उपयुक्त प्राधिकरण को निर्देश देंगे ।

बशर्ते कि जहां कलक्टर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इस प्रकार का निर्देश भेजने में असफल रहता है, वहां आवेदक केंद्र या राज्य प्राधिकरण को, जैसा भी मामला हो, इस बात का आग्रह करते हुए अपील कर सकता है कि कलक्टर को यह निदेश दिया जाए कि वह तीस दिनों के भीतर इसका निर्देश भेज दें ।

(2) आवेदन को उन कारणों के बारे में बताना होगा जिनके आधार पर उसने अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं किया है :

बशर्ते कि इस प्रकार के प्रत्येक आवेदन निम्नानुसार किए जाएंगे

(क) यदि कोई व्यक्ति कलक्टर के अधिनिर्णय देने की तारीख से छः सप्ताह के भीतर आवेदन करता है और वह कलक्टर द्वारा अधिनिर्णय देने के समय वहां उपस्थित था या प्रतिवेदन दिया था;

(ख) अन्य मामलों में, धारा 16 के तहत् कलक्टर से नोटिस मिलने के छः सप्ताह के भीतर या कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख से छः माह के भीतर, इनमें से जो भी अवधि पहले समाप्त होती हैं ।

बशर्ते कि कलक्टर इस बात से संतुष्ट है कि प्रथम उपबंध में विनिर्दिष्ट अवधि में इसे फाइल नहीं करने का पर्याप्त कारण था, तो वह उक्त अवधि के बीत जाने के बाद भी, आगे की एक वर्ष की अवधि के भीतर उस आवेदन पर विचार कर सकता है ।

39. प्राधिकरण के लिए कलक्टर का वक्तव्य

(1) संदर्भ भेजते समय, कलक्टर अपने हाथों से लिखकर प्राधिकरण को सूचना भेजेंगे ।

(क) किसी भी वृक्ष, भवन या लगी हुई फसल की विवरणियों सहित भूमि की स्थिति और इसका विस्तार ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के नाम, जिन्हें वे ऐसी भूमि देना चाहते हैं और उसका कारण उनके पास है ;

(ग) धारा 10 के तहत् नुकसान और भुगतान या निविदा के लिए दी गई राशि और इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत् दी गई मुआवजे की राशि;

(घ) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत भुगतान की गई या जमा की गई राशि; और

(ड.) यदि मुआवजे की राशि के प्रति आपत्ति है तो किस आधार पर मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया था ।

(2) उक्त वक्तव्य के साथ एक अनुसूची संलग्न होगी जिसमें क्रमशः दी गई नोटिसों और सम्बद्ध पक्षां द्वारा लिखित में या भेजे गए वक्तव्यों का ब्यौरा दिया होगा ।

40. नोटिस तामील करना

राज्य या केंद्रीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, तत्पश्चात नोटिस जारी करेगा जिसमें उस तारीख का उल्लेख होगा जब प्राधिकरण आपत्ति को निर्धारित करने की कार्रवाई शुरू करेगा और उसी तारीख को प्राधिकरण के समस्त उपस्थित होने का निदेश भी दिया जाएगा, जो कि निम्नलिखित व्यक्तियों को तामील की जाएगी यथा :

(क) आवेदक ;

(ख) आपत्ति से सम्बद्ध सभी व्यक्ति, उनमें से उन व्यक्तियों को छोड़ दिया गया है जिन्होंने बिना किसी प्रतिवाद के ही दिए गए मुआवजे पर अपनी सहमति जता दी है ; और

(ग) कलक्टर को, यदि आपत्ति भूमि के क्षेत्रफल के संबंध में हो या मुआवजे की राशि के प्रति ।

41. कार्रवाई के क्षेत्र पर रोक

आपत्ति से प्रभावित व्यक्ति के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रत्येक कार्रवाई में जांच पर रोक लगी रहेगी ।

42. खुली अदालत में कार्रवाई होगी

ऐसी प्रत्येक कार्रवाई खुली अदालत में की जाएगी और राज्य में किसी भी सिविल अदालत में प्रैक्टिस करने के पात्र सभी व्यक्ति ऐसी कार्रवाई में मौजूद रह सकते हैं, दलील दे सकते हैं और हिस्सा ले सकते हैं (जैसा भी मामला हो) ।

43. प्राधिकारी द्वारा पंचाट का निर्धारण

(1) इस अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि के लिए दी जाने वाली मुआवजे की राशि निर्धारित करने में प्राधिकारी ध्यान में रखेंगे-

प्रथमतः, इस अधिनियम की अनुसूची-I और अनुसूची-II के अनुसार बाजार मूल्य एवं दी जाने वाली राशि;

द्वितीयतः, किसी लगी हुई फसल जो कलक्टर द्वारा भूमि कब्जा किए जाने के समय उस भूमि पर लगी हो सकती है, को अधिग्रहीत किए जाने के कारण हित संबद्ध व्यक्ति को होने वाली क्षति;

तृतीयतः, ऐसी भूमि को अन्य भूमि से अलग करने के कारण कलक्टर द्वारा भूमि कब्जा करते समय हित संबद्ध व्यक्ति को होने वाली क्षति (यदि कोई हो);

चतुर्थतः, अधिग्रहण जिसकी वजह से किसी रूप में उनकी अन्य चल अथवा अचल संपति अथवा उनकी आय पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, के कारण कलक्टर द्वारा भूमि कब्जा करते समय हित संबद्ध व्यक्ति को होने वाली क्षति(यदि कोई हो);

पंचमतः, कलक्टर द्वारा भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप हित संबद्ध व्यक्ति को अपना निवास स्थान अथवा कामकाज का स्थान बदलने के लिए बाध्य होना पड़े, तो ऐसे बदलाव की वजह से युक्तिसंगत खर्च (यदि कोई हो), और

षष्ठमतः, धारा 9 के अंतर्गत घोषणा के प्रकाशन के समय और कलक्टर द्वारा भूमि के कब्जा करने के समय के बीच भूमि से होने वाले लाभों में कमी होने के परिणामस्वरूप वास्तविक क्षति (यदि कोई हो)।

(2) जैसा कि ऊपर में प्रावधान किया गया है, भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त प्राधिकारी प्रत्येक मामले में ऐसी भूमि के संबंध में धारा 9 के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख से अथवा भूमि के कब्जा किए जाने की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो, की अवधि के लिए ऐसे बाजार मूल्य पर 12% प्रति वर्ष की दर से परिकलित राशि प्रदान करेगा।

व्याख्या - इस उपखण्ड में उल्लिखित अवधि की गणना करने में किसी अवधि अथवा अवधियों जिसके दौरान किसी न्यायालय के आदेश द्वारा कोई स्थगन अथवा निषेधाज्ञा के कारण भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही रोक दी गई थी, शामिल नहीं की जाएगी।

(3) जैसा कि ऊपर में प्रावधान किया गया है, भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, प्राधिकारी प्रत्येक मामले में कुल मुआवजा राशि के लिए शत प्रतिशत मुआवजा देगा।

44. अधिनिर्णय के प्रकार

(1) संबंधित प्राधिकरण के अध्यक्ष इस भाग के अंतर्गत प्रत्येक लिखित अधिनिर्णय पर हस्ताक्षर करेंगे, और धारा 43 की उप-धारा (1) के प्रथम खंड के अंतर्गत अधिनिर्णित राशि और साथ ही उसी उप-धारा के अन्य खंडों के प्रत्येक खंड के अंतर्गत अधिनिर्णित संबंधित राशि (यदि कोई हो) के साथ उक्त राशि प्रदान करने के औचित्य विनिर्दिष्ट करेंगे।

(2) ऐसे प्रत्येक अधिनिर्णय को निर्णय माना जाएगा और ऐसे प्रत्येक अधिनिर्णय के औचित्य के विवरण को नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (वर्ष 1908 का 5) के खंड 2 उपखंड (2) और खंड 2, उप-खंड (9) के अभिप्राय के अंतर्गत निर्णय माना जाएगा।

45. लागत

(1) ऐसे प्रत्येक अधिनिर्णय में इस भाग के अंतर्गत कार्यवाही में किए गए व्यय की राशि, और किस व्यक्तियों द्वारा एवं किस अनुपात में धनराशि का भुगतान किया जाना है, का भी उल्लेख किया जाएगा।

(2) जब कलक्टर के अधिनिर्णय की परिपुष्टि नहीं की जाती है, तो जब तक संबंधित प्राधिकारी का विचार यह न हो कि आवेदक का दावा इतना बेतुका है अथवा कलक्टर के समक्ष अपने मामले को प्रस्तुत करने में इतना लापरवाह है कि उनकी दावा राशि में कटौती की जानी चाहिए अथवा यह कि उसे कलक्टर के कार्य पर हुए व्यय के कुछ हिस्से का भुगतान करना चाहिए, साधारणतः लागत का भुगतान कलक्टर द्वारा किया जाएगा ।

46. अधिशेष मुआवजा पर ब्याज देने के लिए कलक्टर को निदेश दिया जा सकता है

यदि कोई धनराशि, जिसे संबंधित प्राधिकारी के विचारों में कलक्टर द्वारा मुआवजा के रूप में देना चाहिए था, कलक्टर द्वारा मुआवजा के रूप में दी गई धनराशि से अधिक है, तो संबंधित प्राधिकारी अपने अधिनिर्णय में निदेश दे सकता है कि कलक्टर भूमि कब्जा किए जाने की तारीख से प्राधिकारी के पास अधिशेष राशि भुगतान किए जाने की तारीख के बीच की अवधि के लिए 9 % प्रतिवर्ष की दर से ऐसी अधिशेष राशि पर ब्याज का भुगतान करेंगे ।

बशर्ते कि संबंधित प्राधिकारी के अधिनिर्णय में यह भी निदेश दिया जाए कि जहां भूमि कब्जा किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद ऐसी अधिशेष राशि अथवा उसका कुछ अंश प्राधिकारी को दिया जाता है, तो ऐसी अधिशेष राशि अथवा उसके अंश जिसे समय समाप्ति की तारीख के पहले प्राधिकारी के पास जमा नहीं किया गया है, पर उपर्युक्त एक वर्ष की अवधि समाप्त होने की तारीख से 15 % प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा ।

47. प्राधिकारी के अधिनिर्णय के आधार पर मुआवजे की राशि का पुनर्निधारण

(1) जहां इस भाग के अंतर्गत अधिनिर्णय में संबंधित प्राधिकारी आवेदक को धारा 18 के अंतर्गत कलक्टर द्वारा अधिनिर्णित राशि से अधिक मुआवजे की अनुमति देता है, तो धारा 9 के अंतर्गत उसी अधिसूचना द्वारा कवर की गई अन्य सभी भूमि से हित संबद्ध व्यक्ति और वे भी जो कलक्टर के अधिनिर्णय से आहत हैं, इसके बावजूद कि उन्होंने संबंधित प्राधिकारी के अधिनिर्णय की तारीख से तीन माह के भीतर कलक्टर को लिखित आवेदन नहीं दिया था, मांग कर सकते हैं कि उन्हें देय मुआवजे की राशि प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णित मुआवजे की राशि के आधार पर पुर्निर्धारित की जाए :

बशर्ते कि तीन माह, जिसके भीतर इस उप-धारा के अंतर्गत कलक्टर को आवेदन दिया जाएगा, की गणना करने में उस दिन को जिस दिन अधिनिर्णय घोषित किया गया था और अधिनिर्णय की प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को शामिल नहीं किया जाएगा ।

(2) कलक्टर, उप-धारा (1) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर, सभी हित संबद्ध व्यक्तियों को नोटिस देकर और उन्हें सुनवाई किए जाने के लिए युक्तिसंगत अवसर देकर जांच करेंगे और आवेदकों को देय मुआवजे की राशि निर्धारित करते हुए अधिनिर्णय करेंगे ।

(3) कोई व्यक्ति जिसने उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं किया है, कलक्टर को लिखित आवेदन देकर मांग कर सकता है कि संबंधित प्राधिकारी के निर्धारण के लिए मामले को भेजें ।

भाग VII
मुआवजे का संविभाजन

48. विनिर्दिष्ट किए जाने वाले संविभाजन का विवरण

जब अनेक व्यक्तियों के हित संबद्ध हो, और ऐसे व्यक्ति मुआवजे के संविभाजन से सहमत हों, तो ऐसे संविभाजन के विवरण को अधिनिर्णय में विनिर्दिष्ट किया जाएगा, और ऐसे व्यक्तियों के लिए अधिनिर्णय संविभाजन की सत्यता का निर्णायक साक्ष्य होगा।

49. संविभाजन संबंधी विवाद

जब मुआवजे की राशि तय कर दी गई हो, और मुआवजे की राशि अथवा उसके किसी अंश के संविभाजन अथवा उस व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुआवजे की राशि अथवा उसका अंश देय है, विवाद उत्पन्न होता है तो कलक्टर, जैसा भी मामला हो, ऐसे विवाद को राज्य अथवा केंद्रीय प्राधिकारी को भेज सकता है ।

भाग VIII
भुगतान

50. मुआवजे का भुगतान अथवा उसे अदालत में जमा कराना ।

(1) धारा 18 के अंतर्गत अधिनिर्णय के बाद कलक्टर अधिनिर्णय के अनुसार उसके हकदार हितसंबद्ध व्यक्तियों को उनके द्वारा अधिनिर्णित मुआवजे का भुगतान करेगा और जब तक अगले उप-खंड में उल्लिखित आकस्मिकता द्वारा बाधित न किया गया हो, उनके बैंक खाते में धन राशि जमा कर उन्हें इसका भुगतान करेगा ।

(2) यदि वे इसे प्राप्त करने की सहमति नहीं देंगे अथवा यदि भूमि हस्तांरित करने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति न हो अथवा मुआवजे की राशि प्राप्त करने के लिए स्वामित्व संबंधी अथवा इसके संविभाजन के संबंध में कोई विवाद हो तो कलक्टर उस प्राधिकरण में मुआवजे की राशि जमा करेगा जिन्हें धारा 38 के अंतर्गत संदर्भ प्रस्तुत किया जाएगा।

बशर्ते कि हित संबद्ध माने जाने वाला कोई व्यक्ति राशि की पर्याप्तता के संबंध में विवादाधीन ऐसे भुगतान प्राप्त कर सकता है ।

बशर्ते कि कोई व्यक्ति जिसने विवादाधीन राशि के बजाय अन्य राशि प्राप्त की है धारा 38 के अंतर्गत आवेदन करने के लिए हकदार नहीं होगा ।

बशर्ते कि इसमें निहित कोई भी कथन ऐसे किसी भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत अधिनिर्णित मुआवजा के संपूर्ण हिस्से अथवा उसके अंश को प्राप्त कर सकता है, को कानूनी रूप से इसके हकदार व्यक्ति को इसका भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा ।

51. हस्तांतरित करने के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति से संबंधित भूमि के संबंध में जमा की गई राशि का निवेश

(i) यदि कोई धनराशि पूर्ववर्ती धारा की उप-धारा (2) के अंतर्गत संबंधित प्राधिकरण में जमा की जाएगी और यह प्रतीत हो कि जमीन जिसे उसे व्यक्ति को दी गई जिन्हें उसे हस्तांतरित करने के लिए कोई शक्ति नहीं थी, संबंधित प्राधिकारी

(क) समान स्वामित्व और स्वामित्व की समान स्थितियों में रखी जाने वाली अन्य भूमि की खरीद में धनराशि के निवेश का आदेश देंगे क्योंकि वह भूमि जिसके लिए ऐसी धनराशि जमा की जाएगी, रखी गई, अथवा

(ख) यदि ऐसी खरीद तत्काल नहीं की जा सकती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित प्राधिकरण के रूप में अनुमोदित अन्य प्रतिभूतियों के लिए सरकार जैसा उचित समझे;

और ब्याज अथवा ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जो उपर्युक्त भूमि के कब्जे के लिए अल्पकाल के हकदार होंगे, के पास ऐसे निवेश से प्राप्त होने वाली अन्य धनराशि के भुगतान का निदेश देंगे और ऐसी धनराशि निम्नलिखित के लिए उपयोग किए जाने तक जमा अथवा निवेशित रहेगी -

(i) उपर्युक्त ऐसी अन्य भूमि की खरीद में अथवा

(ii) ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जो उनके लिए पूर्ण रूप से हकदार हैं, को भुगतान में।

2. जमा धनराशि के उन सभी मामलों में जिसमें यह धारा लागू होती है, संबंधित प्राधिकारी सभी युक्तिसंगत प्रभार और उस पर होने वाले व्यय सहित कलक्टर द्वारा भुगतान किए जाने वाले निम्नलिखित मामलों की लागत वहन करने का आदेश देंगे यथा -

(क) उपर्युक्त ऐसे निवेश पर आने वाली लागत

(ख) ब्याज अथवा उस प्रतिभूति से प्राप्त होने वाली अन्य राशियों के भुगतान के लिए आदेश पर व्यय जिस पर ऐसी धनराशि का अल्पकाल के लिए निवेश किया जा रहा है और संबंधित प्राधिकरण को ऐसी धनराशि के मूलधन के भुगतान और उनको छोड़कर जो विरोधी दावेदारों के बीच विवाद से उत्पन्न हो सकता है, उससे संबंधित सभी कार्यवाही के लिए

52. अन्य मामलों में जमा धनराशि का निवेश

जब कोई धनराशि पूर्ववर्ती खंड में उल्लिखित कारणों को छोड़कर अन्य कारण के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत संबंधित प्राधिकरण में जमा की गई हो तो प्राधिकारी हितबद्ध पक्ष अथवा ऐसी धनराशि में निवेश का दावा करने वाले के आवेदन पर इसे ऐसी सरकारी अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में जमा करने का आदेश दे सकता है जो उन्हें उचित मालूम पड़े और इस तरह धनराशि वापस मिले जिस तरह उससे हितसंबद्ध पक्ष उन्हें वैसा ही लाभ देंगे जैसा कि उन्हें उस भूमि से प्राप्त होती थी जिसके मामले में ऐसी धनराशि जमा की गई होगी अथवा जमा की जाएगी ।

53. ब्याज का भुगतान

जब ऐसे मुआवजे की राशि का भुगतान अथवा जमा भूमि कब्जा किए जाने की तारीख को अथवा उसके पहले नहीं किया जाता है तो कलक्टर ऐसी धनराशि के भुगतान अथवा जमा किए जाने तक इस तरह कब्जा करने की तारीख से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उस पर ब्याज सहित अधिनिर्णित का भुगतान करेगा ।

बशर्ते कि यदि कब्जा किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसा मुआवजा अथवा उसके किसी हिस्से का भुगतान नहीं किया जाता है अथवा उसे जमा नहीं किया जाता है तो मुआवजे की राशि अथवा उसके अंश जिसका समय समापन के पहले भुगतान नहीं किया गया है अथवा जमा नहीं किया गया है, पर एक वर्ष की उक्त अवधि को अथवा उसके बाद की तारीख से 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा ।

भाग IX

भूमि का अस्थायी अधिग्रहण

54. मौजूदा मुआवजा में अंतर होने की स्थिति में बंजर अथवा कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया।

(1) जब कभी भी उपयुक्त सरकार को ऐसा प्रतीत हो कि किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, अथवा किसी कंपनी के लिए किसी बंजर अथवा कृषि योग्य भूमि का अस्थायी अधिग्रहण तथा उपयोग करने की आवश्यकता है, तो उपयुक्त सरकार कलक्टर को जमीन प्राप्त करने तथा अधिग्रहण किए जाने से तीन वर्ष की अवधि के अंदर उस जमीन का उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए वह उसे उपयुक्त समझे, उपयोग करने का निदेश दे।

(2) कलक्टर उस जमीन के हित संबद्ध व्यक्ति को उस प्रयोजन की लिखित सूचना देगा जिसके लिए उस जमीन की आवश्यकता है, और वह अधिग्रहण तथा उपर्युक्त प्रयोजन के लिए उसके इस्तेमाल किए जाने, तथा वहां से ली जाने वाली सामग्री (यदि कोई हो) के लिए उन्हें वह संपूर्ण धनराशि के रूप में, अथवा मासिक अथवा अन्य आवधिक भुगतानों, जिस पर क्रमशः उसके तथा उन व्यक्तियों के बीच लिखित सहमति बने, के माध्यम से मुआवजा देगा।

(3) यदि मुआवजा की पर्याप्तता अथवा उसके संविभाजन को लेकर कलक्टर तथा हित संबद्ध व्यक्तियों में सहमति नहीं बनती है, तो राज्य अथवा केन्द्रीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, उस मतभेद को निर्णय के लिए न्यायालय के पास भेजेगा।

55. कब्जा लेने तथा वापसी पर मुआवजा देने का अधिकार

(1) मुआवजा का भुगतान करते समय, अथवा करार करते समय, अथवा धारा 54 के तहत निर्देशन देते समय, कलक्टर भूमि का कब्जा ले सकता है, तथा उक्त नोटिस की शर्तों के अनुसार उसका इस्तेमाल कर सकता है अथवा इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकता है।

(2) अवधि समाप्त हो जाने पर कलक्टर जमीन को हुई क्षति (यदि कोई हो) तथा करार में उल्लेख न किए गए के लिए हित संबद्ध व्यक्तियों को मुआवजा देगा तथा उसके हित संबद्ध व्यक्तियों को भूमि वापस करेगाः

बशर्ते, यदि भूमि करार की शुरूआत से ठीक पहले जिस प्रयोजन के लिए इस्तेमाल की जाती थी, उस प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए स्थायी रूप से अनुपयुक्त हो जाती है और यदि हित संबद्ध व्यक्तियों को ऐसी आवश्यकता होगी, तो उपयुक्त सरकार किसी सार्वजनिक प्रयोजन अथवा किसी कंपनी के लिए उसकी स्थायी आवश्यकता महसूस किए जाने पर इस अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगी।

56. भूमि की स्थिति में अंतर

यदि अवधि की समाप्ति पर जमीन की स्थिति के संबंध में अथवा उक्त करार से संबद्ध किसी मामले के संबंध में कलक्टर तथा हित संबद्ध व्यक्तियों में मतभेद होता है, तो उस मतभेद को निर्णय के लिए संबंधित प्राधिकरण को भेजा जाएगा।

भाग X
विविध

57. नोटिस की तामील

(1) इस अधिनियम के तहत किसी नोटिस की तामील, नोटिस के मामले में, उसमें उल्लिखित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित उसकी प्रति प्रेषित करके अथवा देकर, तथा किसी अन्य नोटिस के मामले में कलक्टर अथवा न्यायाधीश के आदेश द्वारा की जाएगी।

(2) जब भी व्यवहार्य हो, नोटिस की तामील उसमें जिस व्यक्ति का नाम दिया गया है, को की जाए।

(3) यदि वह व्यक्ति पाया न जाए, तो उसके साथ रहने वाले उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को तामील की जाए, और यदि कोई वयस्क सदस्य न हो, तो उसमें जिस व्यक्ति का नाम लिखा है वह जिस मकान में सामान्य रूप से रहता है अथवा करोबार करता है, उसके बाहरी दरवाजे पर उसकी प्रति चिपकाकर, अथवा उपर्युक्त अधिकारी अथवा कलक्टर के कार्यालय में अथवा न्यायालय में किसी विशिष्ट स्थान पर, और अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के विशिष्ट हिस्से में उसकी प्रति चिपकाकर भी की जाएः

बशर्ते, यदि कलक्टर अथवा न्यायाधीश ऐसा आदेश दें, उसमें जिस व्यक्ति का नाम लिखा है उसके अंतिम ज्ञात आवास के पते पर, कारोबार के पते अथवा स्थान पर डाक के माध्यम से पत्र [भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 28 तथा 29 के तहत पंजीकृत] में नोटिस भेजा जाए तथा प्रेषिति की पावती प्रस्तुत करके तामील की पुष्टि की जाए।

58. झूठी जानकारी, दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई इत्यादि के लिए दण्ड

(1) यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के तहत आवश्यकता अथवा निदेश के संबंध में, कोई जानकारी देता है अथवा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करता है कि ज्ञात व्यक्ति झूठा है अथवा दिग्भ्रमित कर रहा है, तो उसे किसी निश्चित अवधि, जो एक महीने तक हो सकती है, का कारावास अथवा अर्थदण्ड, जो एक लाख रुपये हो सकता है, अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है।

(2) झूठा दावा करके अथवा जालसाजी के साधनों के माध्यम से पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन का कोई लाभ लिया जाता है, तो उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा उसकी वसूली की जाएगी।

(3) कोई सरकारी सेवक, जो यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध के मामले में दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करने का दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी, वह अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अर्थदण्ड सहित इस दण्ड का पात्र होगा।

59. भूमि अधिग्रहण में बाधा डालने के लिए अर्थदंड

कोई भी जानबूझकर धारा 9 अथवा धारा 15 द्वारा प्राधिकृत किसी कार्य को करने से किसी व्यक्ति को रोकता है, अथवा धारा 15 के तहत की गई खुदाई अथवा बनाए गए निशान को जानबूझकर भर देता है, नष्ट कर देता है, क्षति पहुंचाता है अथवा विस्थापित कर देता है, तो न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन पर वह किसी अवधि तक कारावास, जो एक माह से अधिक नहीं होगी, अथवा अर्थदण्ड, जो पांच सौ रुपये से अधिक नहीं होगा, अथवा दोनों दण्ड का पात्र होगा।

60. मजिस्ट्रेट द्वारा भूमि अधिग्रहण कराया जाना

यदि इस अधिनियम के तहत किसी भूमि का कब्जा लेने में कलक्टर का विरोध किया जाता है अथवा बाधा डाली जाती है, तो वह यदि कोई न्यायाधीश है तो स्वयं भूमि अधिग्रहण करेगा, यदि न्यायाधीश न हो, तो वह न्यायाधीश अथवा (कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई शहरों के अंदर) पुलिस आयुक्त से अनुरोध करेगा तथा वह न्यायाधीश अथवा आयुक्त (जैसा भी मामला हो) कलक्टर को भूमि अधिग्रहीत करवाएगा।

61. भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा किया जाना अनिवार्य नहीं, लेकिन कार्य अपूर्ण रहने पर भी मुआवजा दिया जाना

(1) उपयुक्त सरकार को किसी ऐसी भूमि, जिसका कब्जा नहीं लिया गया है, का अधिग्रहण वापस लेने की छूट होगी।

(2) जब कभी सरकार इस तरह की किसी ऐसी भूमि, जिसका अधिग्रहण को वापस ले लेती है, तो कलक्टर, नोटिस अथवा उसके तहत किसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप भूमि के स्वामी को हुई क्षति के लिए देय राशि का निर्धारण करेगा, तथा वह हित संबद्ध व्यक्ति को उतनी राशि देगा, जो उक्त भूमि के संबंध में इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के निष्पादन में उसके द्वारा लगाई गई समस्त उपयुक्त लागत के बराबर हो।

62. मकान अथवा भवन के हिस्से का अधिग्रहण

(1) यदि कोई मालिक यह चाहता है कि इस तरह के मकान, कारखाना अथवा भवन का इसी तरह अधिग्रहण किया जाए तो इस अधिनियम के उपबंध किसी मकान, कारखाना, अथवा भवन के सिर्फ किसी हिस्से को अधिग्रहीत करने के प्रयोजन के लिए लागू नहीं होंगेः

बशर्ते यह भी कि यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि इस अधिनियम के तहत ली जाने वाली कोई जमीन इस धारा के अर्थ के तहत किसी मकान, कारखाना अथवा भवन का हिस्सा है अथवा नहीं, तो कलक्टर इस तरह के प्रश्न निर्धारण के लिए उसे संबंधित प्राधिकरण को भेजेगा तथा इस तरह की भूमि का कब्जा तब तक नहीं लेगा जब तक प्रश्न का निर्धारण नहीं कर लिया जाता है।

इस तरह के मामले पर निर्णय लेते समय संबंधित प्राधिकरण को इस बात पर ध्यान देना होगा कि ली जाने वाली भूमि का, मकान, कारखाना अथवा भवन के पूर्ण तथा बिना नुकसान के इस्तेमाल के लिए तर्कसंगत आवश्यकता है।

(2) यदि, इस अधिनियम के तहत दावा के किसी मामले में, किसी हित संबद्ध व्यक्ति द्वारा, अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का उसकी अन्य भूमि से अलग होने जाने के कारण उपयुक्त सरकार की यह राय है कि दावा अतर्कसंगत अथवा अत्यधिक है, तो वह कलक्टर के निर्णय दिए जाने से पहले किसी भी समय उस संपूर्ण भूमि के अधिग्रहण का आदेश दे सकती है, जो पहले अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का हिस्सा हो।

(3) इससे पहले किए गए प्रावधान के मामले में, धारा 9 से 18, जिसमें दोनों शामिल हैं, के तहत किसी नई घोषणा अथवा अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी; लेकिन कलक्टर हित संबद्ध व्यक्ति को उपयुक्त सरकार के आदेश की प्रति अविलंब भेजेगा, तथा इसके बाद वह धारा 18 के तहत अपना निर्णय देगा।

63. कंपनी के स्थानीय प्राधिकरण के मूल्य पर भूमि का अधिग्रहण

(1) जहां किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी कंपनी द्वारा नियंत्रित अथवा प्रबंधित किसी निधि के मूल्य पर भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के उपबंधों को लागू किया जाता है, तो ऐसे अधिग्रहण के प्रभार तथा अतिरिक्त व्यय को उस निधि से अथवा निधि द्वारा अथवा कंपनी द्वारा चुकाया जाएगा।

(2) ऐसे मामले में कलक्टर अथवा संबंधित प्राधिकरण के समक्ष की गई किसी भी कार्यवाही में प्राधिकरण अथवा संबंधित कंपनी मुआवजा की राशि निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए हाजिर हो सकते हैं तथा साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।

बशर्ते कि इस तरह के स्थानीय प्राधिकरण अथवा कंपनी धारा 38 के तहत संबंधित प्राधिकरण से निर्देशन की मांग करने के हकदार नहीं होंगे।

64. स्टाम्प शुल्क तथा शुल्क में छूट

इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी अधिनिर्णय अथवा करार पर स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा, तथा ऐसे अधिनिर्णय अथवा करार के तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को उसकी प्रति प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

65. साक्ष्य के रूप में प्रमाणित प्रति को स्वीकार करना

इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में, विनियमन अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के तहत पंजीकृत दस्तावेज की प्रमाणित प्रति और उस अधिनियम की धारा 57 के तहत दी गई प्रति को उस दस्तावेज में दर्ज किए गए अंतरण के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाए।

66. अधिनियम के अनुपालन में किसी गए किसी भी कार्य के लिए मुकदमा के मामले में नोटिस

इस अधिनियम के अनुपालन में किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, व्यक्ति को भावी कार्यवाही की एक माह पहले लिखित नोटिस दिए बिना, तथा उसका कारण बताए बिना और पर्याप्त संशोधन किए जाने के बाद कोई मुकदमा अथवा अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी अथवा अभियोजन नहीं किया जाएगा।

67. प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही के लिए आवेदन करने के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता

उन बातों को छोड़कर जो इस अधिनियम में निहित बातों से असंगत हैं, नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंध इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

68. न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में अपील

नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के अध्ययधीन, मूल आदेशों से अपील के लिए लागू, तथा अस्थायी रूप से लागू किसी कानून के विपरीत किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के तहत किसी कार्यवाही में किसी प्राधिकरण के निर्णय, अथवा निर्णय के किसी हिस्से के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी तथा उपर्युक्त ऐसी अपील के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाएगी और केन्द्रीय प्राधिकरण के किसी निर्णय अथवा आदेश के विरुद्ध नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 110 में निहित उपबंधों के अध्यधीन तथा उसके आदेश सं. XLV के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।

69. अप्रयुक्त भूमि की वापसी

(1) इस अधिनियम के तहत अधिग्रहीत भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन के छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिए अंतरित नहीं किया जाएगा, तथा उचित सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, और इस उपबंध का उल्लंघन करके निर्धारित प्रयोजन में किया गया कोई बदलाव असंगत होगा तथा इससे जुड़ी उस भूमि तथा संरचना को भू-स्वामी को वापस कर दिया जाएगा।

(2) जब इस अधिनियम के तहत अधिग्रहीत कोई जमीन अथवा उसका हिस्सा कब्जा लेने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अप्रयुक्त रहता है, तो उसे प्रत्यावर्तन द्वारा भू-स्वामी को लौटा दिया जाएगा।

(3) उपयुक्त सरकार अप्रयुक्त भूमि अथवा उसके हिस्से को, जैसा भी मामला हो, उस राशि, उस दर, जो उपयुक्त सरकार द्वारा विर्निदिष्ट की जाए, उसे मुआवजा दिए जाने की तरीख से उस राशि की वापसी दिए जाने तक, पर ब्याज सहित उसे दी गई मुआवजा राशि के एक चौथाई की वापसी के अध्यधीन, उस मूल भू-स्वामी को लौटाएगी जिससे यह अधिग्रहीत की गई थी; तथा

(4) स्वामी होने के कारण जिस व्यक्ति को भूमि लौटाई जा रही है, वह उस भूमि, जिसके अधिकार से उसे भूमि के अधिग्रहण किए जाने पर वंचित कर दिया गया है, से संबंधित समस्त स्वामित्व तथा अधिकारों का हकदार होगा।

70. अधिक मुआवजा के लिए अंतरित किए जाने पर भूमि के मूल्य में अंतर को बांटा जाना

जब कभी इस अधिनियम के तहत अधिग्रहीत किसी भूमि के स्वामित्व को मुआवजा के लिए किसी व्यक्ति को अंतरित किया जाता है, अधिग्रहण लागत तथा संशोधित मुआवजा की लागत में अंतर के बीस प्रतिशत, जो किसी भी मामले में अधिग्रहण लागत से कम नहीं होगा, विकास लागत के लिए विधिवत समायोजित, को उन व्यक्तियों द्वारा जिनसे भूमि अधिग्रहीत की गई है अथवा उनके वारिस द्वारा, उस मूल्य के अनुपात में जिस मूल्य पर भूमि अधिग्रहीत की गई थी, वहन किया जाएगा, तथा इस प्रयोजन के लिए अलग निधि बनाई जा सकती है जिसे कलक्टर द्वारा इस तरह से संचालित किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जाए।

बशर्ते कि यह धारा उस प्रत्येक अंतरण, जिसमें जमीन अथवा उसके हिस्से के स्वामित्व का अंतरण अधिनिर्णय की तारीख से दस वर्ष की अवधि के अंदर किया जाता है, पर लागू होगी।

71. अवमानना विरोधी धाराः

इस अधिनियम के उपबंध, अस्थायी रूप से लागू किसी अन्य कानून के अतिरिक्त है और न कि अवमानना में।

72. नियम बनाने की शक्ति

(1) उपयुक्त सरकार को इसे लागू करने से संबंधित सभी मामलों में अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए इस अधिनियम के अनुकूल नियम बनाने की शक्ति होगी, और इस तरह बनाए गए नियमों में समय-समय पर बदलाव एवं संयोजन किया जा सकता हैः

बशर्ते कि केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे प्रत्येक नियम को, उसे बनाए जाने के तुरंत बाद सत्र के दौरान संसद के प्रत्येक सदन में तीस दिन की कुल अवधि, जो एक सत्र अथवा दो अथवा और आगामी सत्र मिलाकर हो सकते हैं, प्रस्तुत किया जाएगा, और यदि उपर्युक्त सत्र की समाप्ति से पहले तत्काल बाद के सत्र अथवा आगामी सत्र में दोनों सदन नियम में परिशोधन करने के लिए सहमत हो जाते हैं अथवा दोनों सदन इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, इसके बाद यह नियम उस परिशोधित रूप में प्रवृत्त होगा अथवा प्रवृत्त नहीं होगा, जैसा भी मामला हो; तथापि यह कि ऐसा कोई परिशोधन अथवा निरसन का उस नियम के तहत पहले किए गए किसी प्रावधान की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बशर्ते यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे प्रत्येक नियम यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत किए जाएंगे।

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत नियम बनाने, उसे परिवर्तित करने अथवा उसमें संयोजन करने की शक्ति पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए परिवर्तित अथवा संयोजित किए जा रहे नियमों की शर्तों के अध्ययीन होगी।

(3) ऐसे सभी नियम, परिवर्तित नियम और नियमों में संयोजन सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और उसे कानून के समान शक्ति प्राप्त होगी।

73. अधिनियम को अभिभावी प्रभाव प्राप्त होगाः

इस अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून अथवा इस कानून के बजाए किसी अन्य कानून द्वारा प्रभावी किसी उपबंध में निहित कोई असंगता के बावजूद भी प्रभावी रहेंगे।

74. अपवाद एवं निरसन उपबंधः

(1) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसी अपील के बावजूद उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत किए गए कृत्य अथवा की गई कार्रवाई इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत कार्य किया गया है अथवा कार्रवाई की गई है, माना जाएगा।

अनुसूची-I

भू-स्वामियों के लिए मुआवजा

इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिगृहीत भूमि के स्वामियों को दिए जाने वाले न्यूनतम मुआवजा पैकेज में निम्नलिखित अवयव शामिल होंगे: -

1. **भूमि का बाजार मूल्य :** जैसा कि अधिनियम की धारा-20 में निर्धारित किया गया है, इसे ग्रामीण क्षेत्रों में तीन गुना माना जाएगा (धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार);

2. **भूमि से संबद्ध परिसंपत्तियों का मूल्य:** कलक्टर द्वारा निर्धारित मूल्य के अनुसार भवनों/वृक्षों/कुओं/कृषि उपज आदि सहित भूमि से सम्बद्ध सभी परिसंपत्तियां;

   बशर्ते कि उपर्युक्त मद सं. (1) तथा (2) की संयुक्त कीमत को मुआवजा राशि माना जाए

1. **सांत्वना राशि:** कुल मुआवजे की 100 % सांत्वना राशि

उपर्युक्त सभी मदों के जोड़ को भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजे का अंतिम अधिनिर्णय माना जाएगा।

अनुसूची-II

अनुसूची-I में प्रदत्त प्रावधानों के अलावा सभी प्रभावित परिवारों (भू-स्वामी तथा वे परिवार जिनकी आजीविका मुख्य रूप से अधिगृहीत भूमि पर आधारित है) के पुर्नवास एवं पुनःस्थापन हकदारी की सूची

1. विस्थापन के मामले में आवासीय इकाइयों का प्रावधान

(1) ऐसा कोई भी प्रभावित परिवार जिसके पास अपना मकान है और जिसके मकान का अधिग्रहण किया गया है, को ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 150 वर्गमीटर क्षेत्रफल अथवा शहरी क्षेत्रों में कम से कम 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल, जैसा भी मामला हो, का आवास उपलब्ध कराया जाएगा जिसके लिए संबंधित परिवार को ऐसे मकान के लिए कोई कीमत नहीं देनी होगी।

(2) ऐसा कोई भी प्रभावित परिवार जिसके पास वास भूमि नहीं है और जो प्रभावित क्षेत्र की अधिसूचना की तारीख से पहले वहां कम से कम तीन वर्ष से रह रहा है और जिसे उस क्षेत्र से उसकी इच्छा के विरुद्ध विस्थापित किया गया है, को ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 150 वर्गमीटर क्षेत्रफल अथवा शहरी क्षेत्रों के मामले में कम से कम 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल, जैसा भी मामला हो, का आवास उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए संबंधित परिवार को कोई कीमत नहीं देनी होगी।

बशर्ते कि यदि ऐसा कोई परिवार प्रदत्त आवास लेने के लिए सहमत नहीं है तो उसे मकान के निर्माण के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो कम से कम 1.50 लाख रु. होगी।

स्पष्टीकरण: शहरी क्षेत्रों में आवास, यदि आवश्यक हो तो, बहुमंजिला भवन परिसरों में उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

बशर्ते कि अधिग्रहण से प्रभावित किसी भी परिवार को इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक से अधिक आवास प्रदान नहीं किए जाएंगे।

2. भूमि के बदले भूमि

सिंचाई परियोजना के मामले में, प्रभावित क्षेत्र में कृषि भूमि वाले प्रभावित प्रत्येक परिवार जिसकी भूमि अधिगृहीत की गई है या जो उससे वंचित हो गया है अथवा उपर्युक्त के परिणामस्वरूप जो सीमांत किसान या भूमिहीन की श्रेणी में आ गया है, के उस प्रत्येक व्यक्ति जो प्रभावित परिवार के अधिकार अभिलेखों में शामिल है, के नाम

में संबंधित परियोजना जिसके लिए भूमि अधिगृहीत की गई है, के कमांड क्षेत्र में कम से कम एक एकड़ भूमि आबंटित की जाएगी।

बशर्ते कि भूमि से वंचित होने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों को प्रत्येक परियोजना में भूमि दी जाएगी।

बशर्ते कि जहां शहरीकरण हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जाता है वहां विकसित भूमि का 20 प्रतिशत आरक्षित रखा जाएगा और भूस्वामियों की अधिगृहीत भूमि के अनुपात में उन्हें दिया जाएगा।

3. वार्षिकी नीतियां

उपयुक्त सरकार अपनी लागत पर वार्षिक भृत्ति संबंधी नीतियां बनाएगी जिसके अंतर्गत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार दो हजार रूपए प्रति मास की वार्षिकी के भुगतान की व्यवस्था की जाएगी।

4. विस्थापित परिवारों के लिए एक वर्ष के लिए जीविका अनुदान

प्रत्येक विस्थापित परिवार को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष के लिए तीन हजार रु. प्रति मास की दर से मासिक जीविका भत्ता दिया जाएगा।

इसके अलावा, अनूसूचित क्षेत्रों से विस्थापित अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पचास हजार रुपए दिए जाएंगे।

5. विस्थापित परिवारों के लिए परिवहन लागत

प्रत्येक प्रभावित परिवार जो विस्थापित किए गए हैं, को परिवार की शिफ्टिंग, भवन निर्माण सामग्री, अन्य वस्तुओं तथा पशुओं आदि के लिए परिवहन लागत के रूप में पचास हजार रु. की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।

6. पशुओं के शैड/छोटी दुकानों की लागत

प्रत्येक प्रभावित परिवार जिसके पास पशु हैं या छोटी दुकान है, को पशुओं के शैड या छोटी दुकान, जैसा भी मामला हो, के निर्माण के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा यथा निर्धारित राशि एकमुश्त वित्तीय सहायता के रूप में दी जाएगी, जो कि पच्चीस हजार रूपए से कम नहीं होगी।

7. कारीगरों आदि को एकमुश्त अनुदान

किसी भी कारीगर, छोटे व्यवसायी का प्रभावित परिवार या स्वरोजगारी व्यक्ति अथवा उस प्रभावित परिवार जिसके पास प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषि भूमि अथवा

व्यवसायिक, औद्योगिक या संस्थागत संरचना है और जिसे भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित क्षेत्र से उसकी सहमति के विरुद्ध विस्थापित किया गया है, को उपयुक्त सरकार द्वारा यथा निर्धारित एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी, जो कि पच्चीस हजार रूपए से कम नहीं होगी।

8. अनिवार्य रोजगार का प्रावधान

किसी अधिग्रहण निकाय की ओर से भूमि अधिग्रहण वाली परियोजना के मामले में:

1) अधिग्रहण निकाय द्वारा प्रत्येक प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को जरूरत के हिसाब से परियोजना में अनिवार्य रूप से रोजगार दिया जाएगा या ऐसी ही अन्य परियोजना में जॉब की व्यवस्था की जाएगी;
2) जहां आवश्यक हो, अधिग्रहण निकाय प्रभावित व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा, ताकि वे उपयुक्त रोजगार प्राप्त कर सकें;
3) अधिग्रहण निकाय उपयुक्त सरकार द्वारा यथा निर्धारित मानदंड के अनुसार प्रभावित परिवारों के पात्र व्यक्तियों को छात्रवृत्तियां तथा अन्य कौशल विकास अवसर प्रदान करेगा।

बशर्ते कि जहां नियोक्ता प्रभावित परिवार के एक सदस्य को नियमित रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाता है तो उपयुक्त सरकार उक्त रोजगार के बदले प्रभावित परिवार को दो लाख रु. की राशि प्रदान करेगी।

9. मत्स्य-पालन अधिकार

सिंचाई या जल-विद्युत परियोजनाओं के मामले में प्रभावित परिवारों को उपयुक्त सरकार द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार, जलाशयों में मत्स्य-पालन की अनुमति दी जा सकती है।

10. एकमुश्त पुनर्वास भत्ता

प्रत्येक प्रभावित परिवार को केवल पचास हजार रुपए का एकमुश्त" पुनः स्थापन भत्ता" दिया जाएगा।

11. विविध

1) प्रभावित परिवारों को आबंटित भूमि या मकान के पंजीकरण के लिए देय स्टेम्प शुल्क तथा अन्य शुल्क, अधिग्रहण निकाय द्वारा वहन किए जाएंगे।

2) प्रभावित परिवारों को मकान हेतु आबंटित भूमि, सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होगी।
3) आबंटित भूमि या मकान, प्रभावित परिवार में पत्नी तथा पति दोनों के संयुक्त नाम में होगा।

12. पंजीकरण शुल्क तथा स्वामित्व

1) प्रभावित परिवारों को आबंटित भूमि या मकान के पंजीकरण के लिए देय स्टेम्प शुल्क तथा अन्य शुल्क अधिग्रहण निकाय द्वारा वहन किए जाएंगे।
2) प्रभावित परिवारों को मकान हेतु आबंटित भूमि, सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होगी।

13. अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान

1) जिस परियोजना के मामले में अधिग्रहण निकाय की ओर से भूमि का अधिग्रहण निहित होता है और जिसमें एक सौ या अधिक अनुसूचित जनजाति के परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन निहित हो तो निर्धारित रूप में एक जनजातीय विकास योजना तैयार की जाएगी जिसमें भूमि अधिकार संबंधी देयताओं जिनका निपटान नहीं किया गया है, संबंधी प्रक्रिया और ली गई भूमि पर जनजातियों के स्वामित्व को बहाल करने संबंधी प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण सहित विशेष अभियान चलाया जाएगा।
2) जनजातीय विकास योजना में पांच वर्ष में वैकल्पिक ईंधन, चारा तथा गैर-वन भूमि पर टिम्बर-रहित वन उत्पाद संसाधनों का विकास संबंधी कार्यक्रम भी निहित होगा, ताकि जनजातीय समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
3) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 तथा अन्य प्रासंगिक नियमों के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम या संघ या राज्य के किसी अन्य अधिनियम के तहत् अधिसूचना जारी किए जाने से पहले आकस्मिक उपखंड के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण सहित, ऐसे क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के सभी मामलों में संबंधित ग्राम सभा या पांचवीं अनुसूची के तहत् अनुसूचित क्षेत्रों में उपयुक्त स्तर पर पंचायतों या छठी अनुसूची क्षेत्रों में परिषदों, जैसा भी मामला हो, से परामर्श किया जाएगा।
4) अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से भूमि अधिग्रहण के मामले में प्रभावित परिवारों को पहली किस्त के रूप में पहले देय मुआवजा राशि के कम से कम एक तिहाई हिस्से का भुगतान किया जाएगा और शेष राशि भूमि के कब्जे के बाद दी जाएगी।

5) प्रभावित अनुसूचित जनजाति परिवारों का पुनः स्थापन अधिमानतः उसी अनुसूचित क्षेत्र में कम्पेक्ट ब्लॉक में किया जाएगा, ताकि वे अपनी जातीय, भाषायी एवं सांस्कृतिक पहचान बनाए रख सकें।
6) अधिकांशतः अनुसूचित जनजाति आबादी वाले पुनः स्थापन क्षेत्रों को सामुदायिक एवं सामाजिक जमावड़े के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाएगी।
7) अधिग्रहण निकाय की ओर से भूमि अधिग्रहण वाली परियोजना के मामले में, जिले से बाहर पुनः स्थापित अ.ज.जा. के प्रभावित परिवारों को पुनर्वास एवं पुनः स्थापन योजना के तहत पच्चीस प्रतिशत अधिक वित्तीय लाभ दिया जाएगा।
8) वर्तमान में लागू नियमों तथा विनियमों के विरुद्ध जनजातीय भूमि के हस्तांतरण करने को रद्द माना जाएगा और उक्त भूमि के अधिग्रहण के मामले में पुनर्वास एवं पुनः स्थापन लाभ मूल जनजातीय भू-स्वामियों को उपलब्ध होंगे।
9) प्रभावित क्षेत्र में नदी या तालाब या बांध में मत्स्य-पालन का अधिकार रखने वाले प्रभावित अनुसूचित जनजाति, अन्य पारंपरिक वन निवासियों तथा अनुसूचित जाति परिवारों को सिंचाई या जल-विद्युत परियोजनाओं के जलाशय क्षेत्र में मत्स्य-पालन अधिकार दिए जाएंगे।
10) प्रभावित अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों को जिले से बाहर पुनः स्थापित करने पर पचास हजार रुपए की एकमुश्त हकदारी के साथ-साथ उनकी वित्तीय लाभ संबंधी पात्रता के अलावा अतिरिक्त 25 प्रतिशत पुनर्वास एवं पुनः स्थापन लाभ प्रदान किए जाएंगे।

14. आरक्षण संबंधी लाभ

प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों को उपलब्ध, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों संबंधी आरक्षण लाभों सहित सभी लाभ, पुनः स्थापन क्षेत्र में भी जारी रहेंगे।

अनुसूची - III

आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान

जनसंख्या के पुनर्वास के लिए अधिग्रहण प्राधिकरण की ओर से निम्नलिखित आधारभूत सुविधाएं और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि पुनर्वास वाली जनसंख्या के लिए नए गांव अथवा कॉलोनी में तार्किक मानदंड वाला सामुदायिक जीवन सुनिश्चित किया जा सके और जगह बदलने के कारण हुए सदमे को कम करने का प्रयास किया जा सके।

एक वासयोग्य और सुनियोजित स्थापन में कम से कम निम्नलिखित यथोचित सुविधाएं और संसाधन होने चाहिए :-

1. पुनर्वास वाले गांवों के अंदर सड़कें तथा बारहमासी-सड़कें नजदीकी पक्की सड़क और रास्ते से जुड़ी हों तथा सभी दोबारा से बसाए गए परिवारों के लिए सुविधा अधिकारों की उपयुक्त रूप से व्यवस्था की जाए।
2. वास्तविक पुनर्वास से पहले उचित जल निकासी तथा सफाई योजनाओं को निष्पादित किया जाए।
3. भारत सरकार द्वारा विहित मानदंडों के अनुसार प्रत्येक परिवार के लिए सुरक्षित पेयजल के एक या अधिक सुनिश्चित स्रोत होने चाहिए।
4. पशुओं के लिए पीने के पानी का प्रावधान।
5. राज्य में स्वीकृत समानुपात के अनुसार चरागाह भूमि।
6. उचित मूल्य वाली दुकानों की पर्याप्त संख्या।
7. उपयुक्तता अनुसार पंचायत घर।
8. बचत खाते खोलने के लिए सुविधायुक्त उपयुक्त ग्राम स्तरीय डाक घर।
9. उपयुक्त बीज और खाद भण्डारण सुविधा यदि आवश्यक हो।
10. यदि सिंचाई परियोजना से न हो तो को आपरेटिव का विकास करके अथवा किसी सरकारी योजना के अंतर्गत अथवा विशेष सहायता से पुनःस्थापित परिवारों के लिए आबंटित कृषि योग्य भूमि में मूलभूत सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किये जाने चाहिए।
11. विस्थापित व्यक्तियों को पुनः स्थापित करने के लिए बसाए गए सभी नये गांवों में उचित परिवहन सुविधा प्रदान की जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्रों/शहरी स्थानों के समीप स्थानीय बस सेवा के माध्यम से जन परिवहन सुविधा शामिल होनी चाहिए।

12. स्थल पर जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान और/अथवा श्मशान स्थल।
13. व्यक्तिगत शौचालय सहित सफाई की सुविधाएं।
14. प्रत्येक घर के लिए और सार्वजनिक बिजली के लिए व्यक्तिगत एकल बिजली कनेक्शन (अथवा सौर ऊर्जा जैसे गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से कनेक्शन)
15. आंगनवाडी में बच्चे और माता हेतु पौष्टिक आहार सुविधा उपलब्ध कराना।
16. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय।
17. दो किलोमीटर की परिधि के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र।
18. भारत सरकार द्वारा विहित अनुसार प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र।
19. बच्चों के लिए खेल का मैदान।
20. प्रत्येक 100 परिवारों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।
21. प्रभावित क्षेत्र की परिधि तथा संख्या के अनुसार सामुदायिक सभा के लिए प्रत्येक 50 परिवारों के लिए पूजा-स्थल और चौपाल/पेड़ के नीचे बनाए गए मंच।
22. पारंपरिक जनजातीय संस्थाओं के लिए अलग से भूमि चिन्हित की जानी चाहिए।
23. जहां संभव हो, वनों में रहने वाले परिवारों को, उनके पारंपरिक अधिकारों के साथ बिना लकड़ी के वनोत्पाद और सामा प्रॉपर्टी संसाधन, यदि बसाए गए नए स्थान के पास उपलब्ध हो तो उपलब्ध कराए जाएं और यदि कोई ऐसा परिवार खाली कराए गए स्थान के पास स्थित क्षेत्र में ऐसे वन अथवा सामान्य प्रॉपर्टी में अपनी पहुँच अथवा प्रवेश जारी रख सकता है, उन्हें अपने आजीविका के पूर्वोक्त संसाधनों का अधिकार मिलता रहेगा।
24. बसावट में यदि आवश्यक हो, उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए।
25. मानदंडों के अनुसार पशु चिकित्सा सेवा केन्द्र।